

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू-प्रबंध) वन भवन, भोपाल, मध्यप्रदेश
क्रमांक/एफ-5/1262/E-file 0329/2025/ दिनांक- ई साइन

प्रेषक:-

एच. एस. मोहन्ता, (भा.व.से.)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) एवं
नोडल अधिकारी वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
मध्यप्रदेश, भोपाल।

प्रति,

उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय),
भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिम क्षेत्र केन्द्रीय पर्यावरण भवन,
लिंक रोड नं; 3, रविशंकर नगर, मध्यप्रदेश, भोपाल।

विषय:- बालाघाट जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (RCPLWE) के अन्तर्गत कि.मी. 45 ऑफ टी 02 से कटटीपारकला तक मार्ग निर्माण हेतु 6.705 हेक्टेयर वनभूमि मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, बालाघाट को उपयोग पर देने बाबत। (FP/MP/ROAD/155398/2022)

संदर्भ:-भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भोपाल का पत्र क्रमांक 6-एपीआर 023/2023-बीएचओ/1/80827 दिनांक 29.08.2024

--0--

कृपया उपरोक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा आपने विषयांकित प्रकरण की प्रथम चरण सैद्धांतिक शर्त स्वीकृति प्रदान की गई थी। सैद्धांतिक स्वीकृति पत्र में उल्लेखित शर्तों का पालन प्रतिवेदन निम्नानुसार है:-

A- Conditions which need to be complied prior to handling over of forest land by the State Forest Department

- 1- शर्त क्रमांक (1) के पालन में आवेदक संस्थान द्वारा वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना की राशि रुपये 6520254/- गैर वनभूमि ऑनलाईन प्रकरण क्रमांक/ FP/MP/ROAD/156162/2022 एवं दुपने बिगड़े वनक्षेत्र में तैयार योजना की राशि रुपये 16216427/- ऑनलाईन प्रकरण क्रमांक/ FP/MP/ROAD/156107/2022 कैम्पा मद में क्रमशः दिनांक 04.01.2024 एवं दिनांक 04.06.2024 से जमा की जा चुकी है, जिसमें यह प्रकरण भी सम्मिलित है।
- 2- शर्त क्रमांक (2) के पालन में आवेदक संस्थान द्वारा वन विभाग के नाम हस्तांतरण एवं नामान्तरण कराया जा चुका है। पालन प्रतिवेदन के साथ संलग्न है।
- 3- शर्त क्रमांक (3) के पालन में प्रकरण में प्राप्त गैर वनभूमि 16.938 हेक्टेयर भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 में दिनांक 27.09.2024 को अधिसूचित की जा चुकी है।
- 4- शर्त क्रमांक (4) के पालन में आवेदक संस्थान द्वारा नेट प्रजेन्ट वैल्यू की राशि रुपये 8237696/- ऑनलाईन कैम्पा मद में दिनांक 17.04.2025 से जमा की जा चुकी है।
- 5- शर्त क्रमांक (5) के पालन में आवेदक संस्थान द्वारा नेट प्रजेन्ट वैल्यू, मार्ग के किनारे- किनारे रोपण की राशि एवं वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना की समस्त राशियां कैम्पा मद में उपरोक्त तिथियों से जमा कराई जा चुकी है।
- 6- शर्त क्रमांक (6) के पालन में आवेदक संस्थान द्वारा वनाधिकार अधिनियम के तहत कलेक्टर, बालाघाट का प्रमाण पत्र क्रमांक/2192 दिनांक 08.06.2023 प्रस्तुत किया गया है, जो ऑनलाईन पोर्टल पर अपलोड है।
- 7- शर्त क्रमांक (7) के पालन में आवेदक संस्था द्वारा प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) के पत्र दिनांक 13.01.2025 में अधिरोपित शर्तों के पालन में 2 प्रतिशत प्रोजेक्ट कॉस्ट की राशि रु. 946200/- मध्यप्रदेश टाइगर फाउण्डेशन सोसायटी के खाते में दिनांक 11.04.2025 से जमा की जा चुकी है।
- 8- शर्त क्रमांक (8 a) के पालन में सड़क के किनारे-किनारे रोपण की राशि रु. 4593677/- ऑनलाईन कैम्पा मद में दिनांक 17.04.2025 को जमा किया जा चुका है, रोड साइड प्लांटेशन स्कीम संलग्न है।
- 9- शर्त क्रमांक (8 b) के पालन में सड़क के किनारे-किनारे रोपण की राशि ऑनलाईन कैम्पा मद में दिनांक 17.04.2025 को जमा किया जा चुका है।

- 10- शर्त क्रमांक (9) के पालन में आवेदक संस्थान द्वारा वचन पत्र ऑनलाईन पोर्टल में पालन प्रतिवेदन के साथ अपलोड किया गया है।
 - 11- शर्त क्रमांक (10) के पालन में वैकल्पिक वृक्षारोपण की KML file e-green watch पोर्टल में ऑनलाईन प्रकरण क्रमांक/ FP/MP/ROAD/156162/2022 में अपलोड किया गया है, जिसका ID no. 53729 है।
 - 12- शर्त क्रमांक (11) के पालन में आवेदक संस्थान सहमत है।
 - 13- शर्त क्रमांक (12) के पालन में आवेदक संस्थान द्वारा सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित समस्त शर्तों का पालन प्रतिवेदन पोर्टल में अपलोड कर दिया गया है।
 - 14- शर्त क्रमांक (12) के पालन में कार्य करने की अनुमति जारी कर पृथक से प्रेषित की जावेगी।
- B- Conditions which neet to be strictly complied on field after handling over of forest land to the User Agency by the Stae Forest Department but the compliance in form of undertaking shall be submitted prior to Stage-II approval:
- 1- शर्त क्रमांक (1) के पालन में आवेदक संस्थान सहमत है।
 - 2- शर्त क्रमांक (2) के पालन में वैकल्पिक वृक्षारोपण भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार वन मण्डल अधिकारी द्वारा कराया जावेगा।
 - 3- शर्त क्रमांक (3) के पालन में Additional NPV का वचनपत्र ऑनलाईन पोर्टल में अपलोड कर दिया गया है।
 - 4- शर्त क्रमांक (4) एवं (5) के पालन में आवेदक संस्थान सहमत है।
 - 5- शर्त क्रमांक (6) के पालन में आवेदक संस्थान द्वारा आवगत कराया है कि मार्ग के दोनों ओर पूर्व से वृक्ष हैं, वृक्षारोपण किया जाना संभव नहीं है, आवेदक संस्थान से राशि जमा करा ली गई है।
 - 6- शर्त क्रमांक (7) से (16) के पालन में आवेदक संस्थान सहमत है।

अतः उपरोक्तानुसार प्रथम चरण सैद्धांतिक स्वीकृति में उल्लेखित समस्त शर्तों का पालन पूर्ण हो गया है। कृपया प्रकरण की अंतिम औपचारिक स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करें।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार।

भवदीय

Digitally signed by
Hari Shankar Mohanta
Date: 05-06-2025
19:22:46
(एच.एस. मोहन्ता)

प्रतिलिपि:-

- 1- मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय), बालाघाट वृत्त, बालाघाट, मध्यप्रदेश।
 - 2- वन मण्डलाधिकारी, सामान्य वन मण्डल, दक्षिण बालाघाट, मध्यप्रदेश।
 - 3- महाप्रबंधक, मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, परियोजना क्रियान्वयन इकाई, आर.टी.ओ. ऑफिस के पास, सिविल लाईन, बालाघाट, मध्यप्रदेश।
- की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

कार्यालय महाप्रबंधक
म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण परियोजना क्रियान्वयन इकाई क्र. 1, बालाघाट
E-mail – gm_bgtpiu1@rediffmail.com - 07632240334

पत्र क्र. 1189 / तक / मप्रग्रासप्रा / 2025
प्रति,

बालाघाट दिनांक 08/05/2025

वनमंडलाधिकारी
दक्षिण वनमंडल (सा.) बालाघाट

विषय :- बालाघाट जिले में प्रधानमंत्री सड़क योजना (RCPLWEA) के अंतर्गत कि.मी.45 ऑफ टी-02 से कट्टीपारकला तक पहुंच मार्ग 6.705 हेक्टेयर वनभूमि महाप्रबंधक मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, बालाघाट को उपयोग पर देने बाबत।

(ऑन लाईन प्रकरण क्रमांक FP/MP/Road/155398/2022

एवं प्रकरण क्रमांक WL/MP/Road/465293/2024)

संदर्भ :-

1. आपका पत्र क्रमांक / तकनीकी / 2327 बालाघाट दिनांक 02.04.2025

2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) भोपाल का पत्र क्रमांक / एफ-5 / 1262 / 2023 / 10-11 / 4669, 4670 भोपाल दिनांक 02.09.2024

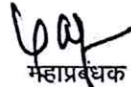
—00—

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र क्रमांक 02 अनुसार बालाघाट जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अन्तर्गत कि.मी. 45 ऑफ टी-02 से कट्टीपार मार्ग निर्माण हेतु 6.705 हेक्टेयर वन भूमि म.प्र.ग्रामीण विकास प्राधिकरण बालाघाट को उपयोग पर देने के संबंध में सैद्धांतिक स्वीकृति जारी कर पालन प्रतिवेदन प्रेषित किये जाने के निर्देश दिये गये थे। उक्त संबंध में संदर्भित पत्र क्रमांक 01 द्वारा राशि जमा किये जाने हेतु डिमांड नोट जारी किया गया था।

उक्त संबंध में सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त के तहत NPV, क्षतिपूर्ति वैकल्पिक वृक्षारोपण की राशि का एवं रोड साईड प्लांटेशन की राशि आवेदक विभाग द्वारा प्रकरण में दिये गये निर्देशों के तहत राशि केम्पा मद में एवं वन्यप्राणी कॉरीडोर के विकास हेतु परियोजना लागत की 2 प्रतिशत राशि म.प्र.टाईगर फाउंडेशन सोसायटी के भारतीय स्टेट बैंक मुख्य शाखा टी.टी. नगर भोपाल में जमा कर ऑनलाईन चालान की प्रति एवं परिवेश पोर्टल पर अपलोड की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित है। म्यूटेशन की कार्यवाही पूर्ण की गई है। सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित समस्त शर्तें (भाग A अन्तर्गत 1 से 13, भाग B अन्तर्गत 1 से 16) का शर्तवार पालन प्रतिवेदन एवं भविष्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित समिति द्वारा नेट प्रजेन्ट वेल्यू (NPV) की दर निर्धारित की जाती है तो उक्त आकलित अंतर की राशि का भुगतान किये जाने संबंधी लिखित वचन पत्र मय अभिलेख सहित आपकी ओर प्रेषित है।

कृपया कान्द्रीकला से कट्टीपार मार्ग निर्माण हेतु 6.705 हेक्टेयर वन भूमि में सड़क निर्माण की औपचारिक स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करें, जिससे सड़क निर्माण कार्य पूर्ण कराया जा सके।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

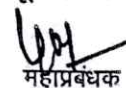

महाप्रबंधक

म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण
परियोजना क्रियान्वयन इकाई क्र. 1, बालाघाट

पृ. क्र. 1190 / तक / मप्रग्रासविप्रा / 2025
प्रतिलिपी:-

बालाघाट, दिनांक 08/05/2025

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) सतपुड़ा भवन मध्यप्रदेश भोपाल की ओर संदर्भित पत्र के तारतम्य में सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य जीव) एवं मुख्य वन्य प्राणी अभिरक्षक वन भवन तुलसी नगर, मध्यप्रदेश भोपाल की ओर संदर्भित पत्र के तारतम्य में सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
3. मुख्य वन संरक्षक बालाघाट, वनवृत्त बालाघाट की ओर संदर्भित पत्र के तारतम्य में सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
4. कलेक्टर बालाघाट, जिला बालाघाट की ओर संदर्भित पत्र के तारतम्य में सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
5. उप वनमंडलाधिकारी लांजी (सा.) उपवनमंडल लांजी की ओर संदर्भित पत्र के तारतम्य में सूचनार्थ।
6. वन परिक्षेत्र अधिकारी पश्चिम लांजी (सा.) परिक्षेत्र की ओर संदर्भित पत्र के तारतम्य में सूचनार्थ।


महाप्रबंधक

म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण
परियोजना क्रियान्वयन इकाई क्र. 1, बालाघाट

General Manager
M.P.R.R.D.A.P.I.U.-1 Balaghat

Name of Road - KM. 45 of T02 to Kattiparkala

Proposal No. - FP/MP/Road/155398/2022

6.705 Hact.

क्र.	वन विभाग द्वारा अधिरोपित शर्तें	आवेदक विभाग द्वारा अधिरोपित शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन
A	Conditions which need to be complied prior to handing over of forest land by the State Forest Dapartment.	
1	Cost of compensatory afforestation on the 16.938 ha. non-forest land at prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme (including the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars etc. as required for securing the land againgt encroachment) shall be deposited in advance with the State Forest Department by the project authority. The CA will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate. provisions for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years.	शर्त के पालन में ग्राम बकेरा तहसील वारासिवनी जिला बालाघाट के वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना 16.938 हेक्टेयर की राशि रु. 6520254.00 ऑनलाईन प्रकरण क्रमांक FP/MP/ Road/156162/2022 में ऑनलाईन केम्पा मद में दिनांक 04.01.2024 को जमा करा दी गई है। (संलग्न - चालान की प्रति)
2	Non forest land shall be transferred and mutated in fovour of state forest department and documents shall be submitted.	प्रस्तावित प्रकरण में ग्राम बकेरा पटवारी हल्का नं. 13 तहसील वारासिवनी खसरा क्रमांक 2/1,73 रकबा 16.938 हे. वन भूमि हस्तांतरित की गई है। खसरा P2 की छायाप्रति संलग्न है।
3	Non forest land which is transferred and mutated in favour of the State Forest Department for the purpose of compensatory afforestation shall be declared as Reserved Forest under section-4 or Protected Forest under section 29 of the Indian forest Act, 1927 or under the relevant section (s) of the State Forest Act, A Copy of PF/ RF notification may be submitted Stage-I compliance report.	वन विभाग कार्यवाही पूर्ण कर ली गई है।
4	The state Government shall charge the Net Present Value (NPV) for the 6.705 ha. Forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the orders of the Hon'ble Supreme court of India dated 30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2008 and 09/05/2008 in IA No. 566 in WP (C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998-FC (Pt.II) dated 18/09/2003 as well as letter No. 5-2/2006-FC dated 03/10/2006. 5-3/2007-FC dated 05/02/2009 & 5-3/2011-FC (Vol-I) dated 06/01/2022 in this regard.	शर्त के पालन में NPV की राशि रु. 82,37,696.00 एवं रोड साईड प्लांटेशन की राशि रु. 45,93,677.00 कुल राशि रु. 1,28,31,373.00 ऑनलाईन केंपा मद में दिनांक 17.04.2025 को जमा कर दी गई है। (संलग्न - चालान की प्रति)



महाप्रबंधक

म.प्र.ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण
परि.क्रियान्वयन कार्याई कं. 1 बालाघाट

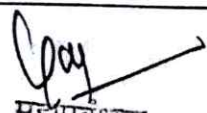
5	All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/deposited in CAMPA fund only through e-portal (https://parivesh.nic.in/)	ऑनलाईन केम्पा मद में जमा कर दी गई है।
6	Complete compliance of the FRA 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector.	FRA प्रमाण पत्र कलेक्टर बालाघाट द्वारा निर्धारित प्रपत्र में भेजा गया है। (छायाप्रति संलग्न है।)
7	The User Agency shall strictly comply with all the conditions of Wildlife clearance.	आवेदन संस्थान सहमत है एवं शर्त का पालन किया जावेगा।
8 a)	The User Agency shall submit road side plantation scheme in consultation with the State Forest Department and the plantation shall be carried out by SFD at the cost of User Agency.	रोड साइड प्लान्टेशन की राशि चालान द्वारा दिनांक 17.04.2025 को जमा की जा चुकी है।
8 b)	Cost of the same shall be transferred in CAMPA fund via online/e-portal.	राशि चालान द्वारा दिनांक 17.04.2025 को जमा की जा चुकी है।
9	The User agency shall submit on undertaking that no muck shall be disposed off in forest land.	मार्ग निर्माण में निकलने वाली उपयोगी मिट्टी Emabankment बनाने में किया जावेगा तथा शेष अनुपयोगी मिट्टी मार्ग के समतलीकरण में उपयोग की जावेगी। अतः Muck वन क्षेत्र में कहीं भी नहीं डाला जावेगा। (वचन पत्र संलग्न है।)
10	The KML files of Diverted and CA areas shall be uploaded on the e-Green watch portal with all requisite details prior to Stage-II Approval.	व्यपवर्तित वन क्षेत्र की KML File, e-Green Watch अपलोड कर दी गई है।
11	Violation of any of these conditions will amount to violation of forest (Conservation) Act. 1980 and action would be taken as prescribed in para 1.21 of Chapter 1 of the Handbook of Comprehensive Guidelines of Forest (Conservation). Act 1980 as issued by this Ministry's letter No. 5-2/2017-FC date 28/03/2019	आवेदन संस्थान सहमत है एवं शर्त का पालन किया जावेगा।
12	The compliance report shall be uploaded on e-portal (https://parivesh.nic.in/)	प्रथम चरण में अधिरोपित शर्तों A & B का पालन प्रतिवेदन ऑनलाईन पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है।
13	In case working permission is granted by the State Forest Department, a copy of the same shall be submitted with compliance report of Stage-I approval.	प्रथम चरण में अधिरोपित शर्तों A & B का पालन प्रतिवेदन ऑनलाईन पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है।



महाप्रबंधक

म.प्र.ग्रामीण राज्क विकास प्राधिकरण
वरि.कियान्वयन र्गर्गर्ग, 1 बालाघाट

B	Conditions which need to be strictly complied on field after handing over of forest land to the User Agency by the State Forest Department but the compliance in form of undertaking shall be submitted prior to Stage-II approval:	
1	Legal status of the forest land shall remain unchanged.	आवेदन संस्थान सहमत है एवं शर्त का पालन किया जावेगा।
2	Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department over 16.938 ha. non forest land (6.216 ha, at Khasra No. 2/1, 3.722 ha. Khasra No. 73/2 7.00 ha. Khasra No. 88/1/108, Village Bakera, Tehsil-Waraseoni, District- Balaghat) at the cost of the user agency. As far as possible, a mixture of local native species shall be planted and monoculture of any species, especially non native species shall be avoided.	दक्षिण वनमंडल बालाघाट से संबंधित है।
3	Additional amount of NPV of the diverted forest land if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert. Committee, shall also be charged by the State Government from the User Agency. The User Agency Shall furnish an undertaking to this effect.	आवेदन संस्थान सहमत है एवं शर्त का पालन किया जावेगा। (वचन पत्र संलग्न है)
4	The User Agency Shall restrict felling of trees to the enumerated 253 numbers/ minimum number in the diverted forest land and the felling shall be under the strict supervision of the State Forest Department or the cost of felling of trees shall be deposited by the User Agency with the State Forest Department and State Forest Department shall undertake the fellings.	आवेदन संस्थान सहमत है एवं शर्त का पालन किया जावेगा। (वचन पत्र संलग्न है)
5	Boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost.	आवेदन संस्थान सहमत है एवं शर्त का पालन किया जावेगा।
6	User agency shall raise strip plantation on both sides and central verge of the road as per the IRC norms.	मार्ग का केरिज वे 3.75 मी. है। मार्ग के दोनों ओर पूर्व से पेड है एवं आवेदक विभाग न्यूनतम वृक्षों की कटाई के लिए बचनबद्ध है एवं रोड लाईट प्लांटेशन की राशि वनमंडल बालाघाट को उपलब्ध की गई है। अतः सड़क के मध्य के दूरी पर वृक्षारोपण किया जाना उचित नहीं है।
7	Speed regulating signage will be erected all along the road at regular intervals in the protected Areas/forest Areas.	आवेदन संस्थान सहमत है एवं शर्त का पालन किया जावेगा।
8	Layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government.	आवेदन संस्थान सहमत है एवं शर्त का पालन किया जावेगा।
9	No labour camp shall be established on the forest land.	आवेदन संस्थान सहमत है एवं शर्त का पालन किया जावेगा।


 महाप्रबंधक
 म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण
 परि. क्रियान्वयन कक्षाई कं. 1 बालाघाट

Proposal No. - FP/MP/Road/155398/2022

6.705 Hact.

10	The User Agency shall provide alternate fuels preferably LPG to the labourers and staff working at the site so as to prevent any damage and pressure on the nearby forest.	आवेदन संस्थान सहमत है एवं शर्त का पालन किया जावेगा।
11	No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work.	आवेदन संस्थान सहमत है एवं शर्त का पालन किया जावेगा।
12	The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the project life.	आवेदन संस्थान सहमत है एवं शर्त का पालन किया जावेगा।
13	The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.	आवेदन संस्थान सहमत है एवं शर्त का पालन किया जावेगा।
14	The User Agency and the State Government shall ensure compliance to provisions of all the Acts. Rules, Regulation, Guidelines. Hon'ble Court Order (s) and National Green Tribunal Order(s) pertaining to this project, if any for the time being in force, as applicable to the project.	आवेदन संस्थान सहमत है एवं शर्त का पालन किया जावेगा।
15	The forest land proposed to be divered shall under no circumstances be transferred to any other agencies department or person without prior approval of Central Government.	आवेदन संस्थान सहमत है एवं शर्त का पालन किया जावेगा।
16	Any other condition that the Ministry of Environment Forest & Climate change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and developoment of forest & wildlife.	आवेदन संस्थान सहमत है एवं शर्त का पालन किया जावेगा।


General Manager
C.M.P.R.R.D.A.P.I.U.-1 Balaghat

Online payment history made by User Agency under CAMPA

5	FP/MP/ROAD/1561 62/2022	ROAD1561622 022064	61156162064	07-Nov-23	PAID ✓	CA: 6520254/-, Addl CA : 0/-	PCA: 0/-, CAT : 0/-	Safety Zone: 0/-, Addl PA : 0/-	NPV: 1566452/-, Other Charges : 0/-	Other Charges1 : 0/-	Other Charges2 : 0/-	Other Charges3 : 0/-	Total : 8086706/-	Fund Demand Verified by Nodal Officer On : 02-Jan-24	Bank Name : Union Bank Of India Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On : 02-Jan-24 Transaction Date : 04-Jan-24	Demand Letter Generated Challan
	Construction of road from Termini to Tadddhar Via Keradehi Road under RCPLWEA SCHEME															


 महाप्रबंधक
 म.प्र.ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण
 परि. क्रियान्वयन ईकाई कं.1.बालाघाट



खम्बरा

प्रत्येक (नियम 6 देखिए).

CLR No. : 11090419725

ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵਿਵਰਨ (ਪੰਨਾ 6 ਦੇਖੋ)।

[illegible]

महापरा धक

म.प्र.ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण
परि. क्रियान्वयन ईकाई कं. १, बालाघाट



.. RECOMMISSIONED ! AND RECOGNIS MADHYA PRADESH !

Date: 2024.01.08 18:41:56 IST

Date: 2024.01.08 16:41:50 IST
Reason: Digital Extract of Land Record - Khassra Copy

CLR No. : 11090419725

Vr. No. -----/PIU-I/Date /04/2025

P.V.D. Form No. 22

Hand Receipt

PASSED FOR PAYMENT OF

Rs. 8,75,86,407.00

(In words) Rs. Eight Crore Seventy Five Lakh Eighty Six Thousand Four Hundred Seven Only

In Madhya Pradesh CAMPA Below A/c No.

1 Pay by Cash Rs.

2 Pay by Cheque Rs.

3 Paid by me

0.00

8,75,86,407.

0.00

General Manager

M.P.R.R.D.A.

Balaghat

Received from the General Manager in charge of the P.I.U.-I, Balaghat:

The sum of Rs. 8,75,86,407.00 Only (In words Rs. Eight Crore Seventy Five Lakh Eighty Six Thousand Four Hundred Seven Only) Name of Work or purpose for which payment is being made On Account of NPV & Forest Expenditure RCPLWE Work.

S. N.	Beneficiary Name	IFSC Code	Package No./ Road Name	Pay To Account NO.	Amount	Bank Name & Address
1	MADHYA PRADESH CAMPA	UBIN0996335	MP01 810 Bodadlakha To Dhiri Murum	1507661155629680	30517100	Union Bank Of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027
2			MP01 812 T02 KM 45 To Kandrikala	1507661155398174	12831373	
3			MP01 812 Kandrikala To Kattipar	1507661155493725	19832304	
4			MP01 814 Sitapala Tatikala To Kosamdehi	1507661156164636	24405630	
			Total		87586407	

Allocation:-

8,75,86,407

Amount in Vernacular

Signature of payee

Account Officer
M.P.R.R.D.A.
P.I.U.-I, Balaghat

Paid via Cheque

No. 162082 Date 11.04.25

Account Officer
MPRRDA PIU-I
Balaghat (M.P.)

REPORT-ID: IF0000

BRANCH: 03312

MAKER: 0054874

CENTRAL BANK OF INDIA

N E F T - T R I C K L E F E E D T R A N S A C T I O N S

TRAN DATE: 17042025

SENDER IFSC: CBIN0283312
CHECKER: 0054874

SENDER-AC-NO	SERVICE TAX	RESPONSE	AMOUNT	BENEFICIARY-AC-NO	BENEFICIARY-NAME	SENDER-NAME	RECEIVER-IFSC	COMMISSION
3041271029	✓	24405630.00	1507661156164636	MADHYAPRADESHCA	MPRRDABHOPAL	UBIN0996335	0.00	0.00
3041271029	✓	30517100.00	1507661155629680	MADHYAPRADESHCA	MPRRDABHOPAL	UBIN0996335	0.00	0.00
3041271029	✓	12831373.00	1507661155398174	MADHYAPRADESHCA	MPRRDABHOPAL	UBIN0996335	0.00	0.00
3041271029	✓	19832304.00	1507661155493725	MADHYAPRADESHCA	MPRRDABHOPAL	UBIN0996335	0.00	0.00

TOTAL NO. OF TRANSACTION : 4 AND AMOUNT 87586407.00

SUCCESSFUL TRANSACTION : 4 AND AMOUNT 87586407.00



महाप्रबंधक

म.प्र.ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण
महाराष्ट्र कृषि विकास कं. 1 बालाघाट

-: जिला स्तरीय वन अधिकार समिति का सहमति पत्र :-

प्रमाणित किया जाता है :-

- 1- आवेदक विभाग "महाप्रबंधक, ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण परियोजना क्रियान्वयन इकाई क्रमांक 01 बालाघाट" द्वारा "किमी 45 टी से कटटीपारकला सड़क निर्माण कार्य" हेतु तहसील लांजी आरक्षित/संरक्षित वन क्षेत्र के वन खंड क्रमांक 291, 649, 650, 657, 656, 661 के वन क्षेत्र में 6.705 हेक्टेयर वन भूमि हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत वनभूमि व्यपवर्तन की स्वीकृति हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र मांग की गई है।
- 2- ग्राम पंचायत अंधियाटोला, जनपद पंचायत लांजी के द्वारा उक्त कार्य हेतु सहमति व्यक्त की गई है। अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अंतर्गत समस्त औपचारिकताओं/प्रतिक्रियाओं का पालन पूर्ण कर लिया गया है एवं हक प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु कोई भी व्यक्तिगत/सामुदायिक दावे लंबित नहीं हैं एवं उक्त क्षेत्र में किसी भी दावेदार को वन अधिकार हक प्रमाण पत्र पात्र/अपात्र नहीं किया गया है। ग्रामसभा की बैठक में 50% से अधिक सदस्य उपस्थित हुए।
- 3- उपखंड स्तरीय वन अधिकार समिति लांजी के द्वारा "किमी 45 टी से कटटीपारकला सड़क निर्माण कार्य" हेतु वन भूमि के व्यपवर्तन के लिए सहमति/अनुशंसा की गई है।
- 4- वन भूमि के व्यपवर्तन के फलस्वरूप संपादित किये जाने वाले प्रयोजन के निर्माण से पंचायत क्षेत्र के विकास की संभावना है।

अतः उपखंड स्तरीय वन अधिकार समिति के सहमति के आधार पर जिला स्तरीय वन अधिकार समिति उक्त कार्य हेतु अपना अभिमत/सहमति प्रदान करती है।



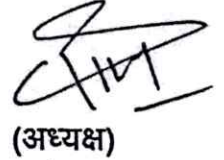
(सचिव)

सहायक आयुक्त,
जनजातीय कार्य विभाग बालाघाट
जिला स्तरीय वन अधिकार
समिति बालाघाट



(सदस्य)

वनमंडलाधिकारी
दक्षिण (सा.) वन मंडल बालाघाट
जिला स्तरीय वन अधिकार
समिति बालाघाट



(अध्यक्ष)

कलेक्टर
जिला बालाघाट
जिला स्तरीय वन अधिकार समिति
बालाघाट

FORM-I

Annexure-I

(For Linear Projects)

Government Of Madhya Pradesh

Office of the District Collector, Balaghat

No...2192..

Dated...8/6/2023

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and forest (MoEF), Government of India's letter No.11-9/98-FC (pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Right Act, 2006 FRA, for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **6.705 hectares** of forest land proposed to be diverted in favour of **General Manager, Rural Roads Development Authority Project Implementation Unit No. 01 Balaghat**, (name of user agency) for **KM 45 T to Kattiparkala Road Construction Work** (purpose for diversion of forest land) in **Balaghat** district falls within jurisdiction of South Balaghat Forest Division, Forest Range- Balaghat (T.) Forest Block Lanji Tah./Block Lanji, Village- Andhiyatola in Compartment No. 291, 649, 650, 657, 656, 661 Total Area 6.705 Hec. in Forest land village(s) in Lanji tehsils.

It is further certified that:

- (z) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **6.705 hectares** of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consultation and meetings of the forest rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub Division level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 01 to annexure 02.
- (aa) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it;
- (bb)(c) The proposal does not involve recognized rights of primitive tribal Groups and pre agricultural communities.

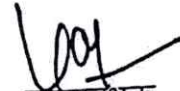
Encl: As above:

(Dr. Girish Kumar Mishra)

(full name and official seal of the District Collector)

—: Muck के उपयोग हेतु वचन पत्र :—

प्रमाणित किया जाता है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत कि.मी. 45 ऑफ टी 02 से कट्टीपार मार्ग में वन परिक्षेत्र पश्चिम लांजी (सा.) परिक्षेत्र अन्तर्गत वन कक्ष क्रमांक 291, 649, 650, 657, 656, 661 के वन क्षेत्र में 6.705 हेक्टेयर प्रस्तावित वन भूमि में सड़क के निर्माण के दौरान मार्ग निर्माण में निकलने वाली उपयोगी मिट्टी Embankment बनाने में किया जावेगा तथा शेष अनुपयोगी मिट्टी मार्ग के समतलीकरण में उपयोग की जावेगी। अतः Muck वन क्षेत्र में कहीं भी नहीं डाला जावेगा। इस हेतु आवेदक विभाग वचनबद्ध है।

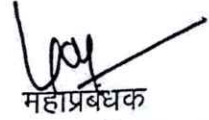


महाप्रबंधक

म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण
परियोजना क्रियान्वयन इकाई क्र. 1, बालाघाट

—: NPV की अतिरिक्त राशि जमा संबंध में प्रमाण पत्र :—

प्रमाणित किया जाता है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत कि.मी. 45 ऑफ टी 02 से कट्टीपार मार्ग में वन परिक्षेत्र पश्चिम लांजी (सा.) परिक्षेत्र अन्तर्गत वन कक्ष क्रमांक 291, 649, 650, 657, 656, 661 के वन क्षेत्र में 6.705 हेक्टेयर प्रस्तावित वन भूमि में सड़क के निर्माण के दौरान माननीय उच्चतम न्यायालय भारत द्वारा गठित कमेटी द्वारा भविष्य में NPV की दर निर्धारित की जाती है एवं अधिरोपित शर्तानुसार अंतर की राशि मांग की जाती है तब अंतर की राशि भुगतान करने इस हेतु आवेदक विभाग वचनबद्ध है।

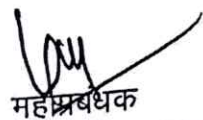


महाप्रबंधक

म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण
परियोजना क्रियान्वयन इकाई क्र. 1, बालाघाट

—: न्युनतम वृक्षों की क्षति नही किये जाने के संबंध में प्रमाण पत्र :-

प्रमाणित किया जाता है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत कि.मी. 45 ऑफ टी 02 से कट्डीपार मार्ग में वन परिक्षेत्र पश्चिम लांजी (सा.) परिक्षेत्र अन्तर्गत वन कक्ष क्रमांक 291, 649, 650, 657, 656, 661 के वन क्षेत्र में 6.705 हेक्टेयर प्रस्तावित वन भूमि में 253 वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं। आवेदक विभाग न्युनतम वृक्षों की कटाई के लिए वचनबद्ध है। सड़क निर्माण के दौरान प्रभावित वृक्षों के अतिरिक्त कोई भी वृक्ष नही काटे जावेंगे। इस हेतु आवेदक विभाग वचनबद्ध है।



महप्रबंधक

म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण
परियोजना क्रियान्वयन इकाई क्र. 1, बालाघाट

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) एवं मुख्य वन्यजीव अभिरक्षक, मध्य प्रदेश

भू-तल, सी-ब्लॉक, वन भवन, लिंक रोड नं.-2, तुलसी नगर, भोपाल-462003

दूरभाष : 0755-2674248, 2524275, फ़ैक्स : 0755-2674206 E-mail : pccfwl@mp.gov.in

क्रमांक/वन्यजीव/व.त.अ.-1/27.06/428
प्रति,

भोपाल, दिनांक 13/01/2025

महाप्रबंधक,
म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण,
परियोजना क्रियान्वयन ईकाई-1, बालाघाट

विषय :- बालाघाट जिले के अंतर्गत कान्हा-नागझीरा-ताडोबा-इन्द्रावती टाइगर कॉरीडोर में दक्षिण बालाघाट सामान्य वनमण्डल में मार्ग टी-02 के कि.मी. 45 से कट्टीपारकला मार्ग लम्बाई 04.83 कि.मी. रकबा 7.65 हैक्टेयर वनभूमि म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, परियोजना क्रियान्वयन ईकाई-1, बालाघाट को मार्ग निर्माण हेतु उपयोग पर देने की वन्यजीव अनुमति।
संदर्भ :- परिवेश पोर्टल से प्राप्त प्रस्ताव क्रमांक WL/MP/ROAD/465293/2024

—0—

उपरोक्त विषयांतर्गत आपके द्वारा बालाघाट जिले के अंतर्गत दक्षिण बालाघाट सामान्य वनमण्डल में मार्ग टी-02 के कि.मी. 45 से कट्टीपारकला मार्ग की कुल लम्बाई 8.5 कि.मी. में से कान्हा-नागझीरा-ताडोबा-इन्द्रावती टाइगर कॉरीडोर में लम्बाई 04.83 कि.मी. रकबा 7.65 हैक्टेयर वनभूमि मार्ग निर्माण हेतु उपयोग करने की वन्यप्राणी अनुमति हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव वनमण्डलाधिकारी, दक्षिण बालाघाट सामान्य वनमण्डल की अनुशंसा सहित परिवेश पोर्टल के माध्यम से प्राप्त हुआ था।

उक्त प्रस्तावानुसार दक्षिण बालाघाट सामान्य वनमण्डल के टाइगर कारीडोर क्षेत्र के कक्ष क्रमांक 291, 649, 650, 656, 657 एवं 661 में लम्बाई 04.83 कि.मी. में रकबा 7.65 हैक्टेयर वनभूमि का उपयोग किया जाना प्रस्तावित किया गया है। प्रस्तावित योजना में 253 वृक्ष प्रभावित होना दर्शाया गया है। आवेदक संस्था द्वारा क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु भूमि उपलब्ध कराने हेतु वचन पत्र प्रस्तुत किया गया है। परियोजना की कुल लागत रुपये 473.10 लाख दर्शायी गई है।

मुख्य वन्यजीव अभिरक्षक, म.प्र. संबंधित वन संरक्षक, वनमण्डलाधिकारी एवं आवेदक विभाग की मुख्यालय स्तर पर संयुक्त बैठक दिनांक 09.09.2024 को आयोजित की गई।, जिसमें निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. प्रस्तावित मार्ग का पुनः स्थल निरीक्षण कर क्षेत्र में पाये जाने वाले अधिकतम ऊंचाई के वन्यजीवों के अनुसार 05 अण्डरपास/बाक्स कल्वर्ट प्रस्तावित किये गये हैं। जिनकी संख्या में आवश्यकतानुसार वृद्धि की जावे।
2. मार्ग में जहां ह्यूम पाइप प्रस्तावित किये गये हैं वहां न्यूनतम 01 मीटर ऊंचाई के बाक्स कल्वर्ट प्रस्तावित किये जायेंगे।
3. प्रभावित वृक्षों में रो शोल्डर पर स्थित आवश्यक वृक्षों को ही काटते हुए न्यूनतम वृक्षों के पातन हेतु प्रस्तावित किया जावे।
4. वनक्षेत्र में निहित लम्बाई के लिए वन्यजीव एनीमल पैसेज प्लान प्रस्तुत किया जावे।
5. प्रस्ताव के संबंध में संबंधित वनमण्डलाधिकारी द्वारा जस्टिफिकेशन एवं मिटिगेशन प्रमाण पत्र प्रेषित किया जावे।

संरक्षित क्षेत्र प्रभारी/वनमण्डलाधिकारी, दक्षिण सामान्य वनमण्डल बालाघाट द्वारा प्रेषित जानकारी के अनुसार प्रस्तावित मार्ग सुदूर वनक्षेत्र में एकल मार्ग है। जिसमें 3.75 मीटर चौड़ाई में डामरीकरण एवं 1.87 मीटर चौड़ाई में मार्ग के दोनों तरफ शोल्डर्स का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित क्षेत्र वनाच्छादित वनक्षेत्र है, जहां बाघ, तेंदुआ, भालू, जुगली सुअर, जंगली कुत्ता, बाघसन, सियार, चीतल सांभर, नीलगाय सहित अन्य वन्यजीव पाये जाते हैं। प्रस्तावित मार्ग से सुदूर वनक्षेत्र में स्थित 02 ग्रामों की 642 जनसंख्या को आवागमन सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। इस मार्ग में दिन में 01 से

02 दोपहिया वाहनों का आवागमन होता है, जो अत्यंत ही कम है। इस मार्ग में विगत 05 वर्षों में वाहनों से वन्यजीवों की दुर्घटना के एक भी प्रकरण प्रकाश में नहीं आये हैं। प्रस्तावित मार्ग भारत सरकार की RCPLWEA योजनान्तर्गत नक्सल समस्या के उन्मूलन हेतु प्रस्तावित है। उक्त मार्ग निर्माण से पुलिस विभाग एवं वन विभाग की गश्ती, सुदूर वनक्षेत्र में निवासरत् ग्रामीणों को आवागमन की बेहतर सुविधा एवं उन्हें शासन की योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराकर उनके जीवन स्तर में सुधार किया जाना है। वनमण्डलाधिकारी द्वारा प्रस्तावित क्षेत्र में पाये जाने वाले वन्यजीवों को दृष्टिगत रखते हुए न केवल कॉरीडोर क्षेत्र में बल्कि प्रभावित समस्त वनक्षेत्रों में वन्यजीवों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु वन्यजीव एनीमल पैसेज प्लान तैयार कराकर प्रस्तुत किया गया है। जिसके अनुसार निम्नानुसार कुल 08 अधोसंरचनायें प्रस्तावित की गई हैं, जिसमें 05 स्लेब पुलिया में 10 वृक्ष पातन हेतु प्रभावित हो रहे हैं।

क्र.	चैनेज (मीटर में)	अधोसंरचना	लम्बाई (मीटर में)	उंचाई (मीटर में)	वर्तमान स्थिति
1	330	अंडरपास/बाक्स क्लवर्ट	40	6	पूर्व से निर्मित
2	1200	अंडरपास/बाक्स क्लवर्ट	15	4.5	
3	1940	अंडरपास/बाक्स क्लवर्ट	10	4	
4	3100	अंडरपास/बाक्स क्लवर्ट	3	4	नवीन प्रस्तावित
5	4700	अंडरपास/बाक्स क्लवर्ट	3	4	
6	5170	अंडरपास/बाक्स क्लवर्ट	3	4	
7	6400	अंडरपास/बाक्स क्लवर्ट	3	4	
8	7900	अंडरपास/बाक्स क्लवर्ट	3	4	

इसके अतिरिक्त मार्ग में 12 स्पीड ब्रेकर एवं 37 साइन बोर्ड का प्रावधान किया गया है। वर्तमान में स्थित कच्चा मार्ग समतल एवं वर्तमान स्थित धरातल से मार्ग 32 सेंटीमीटर ऊंचाई पर होने से प्रस्तावित 08 एनीमल पैसेज/अधोसंरचनाओं के अतिरिक्त अन्य पैसेज की आवश्यकता संभव नहीं है, का लेख करते हुए वनमण्डलाधिकारी, दक्षिण बालाघाट द्वारा प्रस्ताव की अनुशंसा की गई है। मुख्य वन्यजीव अभिरक्षक, मध्यप्रदेश द्वारा प्रस्तावित प्रस्ताव एवं पैसेज प्लान को दृष्टिगत रखते हुए वन्यजीव पर किसी भी प्रकार का विपरीत प्रभाव न पड़ने की नगण्य संभावना के दृष्टिगत निम्न शर्तों के अधीन अनुशंसा की गई है:-

1. प्रकरण में आवेदक संस्था द्वारा टाइगर कॉरीडोर क्षेत्र में प्रस्तावित परियोजना लागत की 02 प्रतिशत की राशि म.प्र. टाइगर फाउंडेशन सोसायटी के खाते में वन्यप्राणी कॉरीडोर के विकास हेतु जमा करायी जावेगी।
 2. नियमानुसार एन.पी.व्ही. एवं अन्य शुल्क देय होगा।
 3. प्रेषित पैसेज प्लान में प्रस्तावित स्थलों/चैनेज/कि.मी. पर ही अधोसंरचनाओं का निर्माण आवेदक संस्था द्वारा किया जायेगा एवं मार्ग का रि-एलाइमेंट नहीं किया जायेगा।
 4. वन एवं वन्यप्राणियों को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाया जायेगा।
 5. सूर्यास्त के पश्चात एवं सूर्योदय के पूर्व कार्य नहीं किया जायेगा।
 6. निर्माण सामग्री वन क्षेत्र के बाहर से लायी जावेगी।
 7. आवेदक संस्था द्वारा निर्माण कार्य प्रारंभ करने एवं समाप्ति की सूचना संबंधित संरक्षित क्षेत्र प्रभारी को उपलब्ध करानी होगी।
 8. आवेदक संस्था एवं संबंधित संरक्षित क्षेत्र प्रभारी/वनमण्डलाधिकारी द्वारा कार्य के संबंध में Compliance Report प्रस्तुत की जावेगी।
2. उक्त प्रस्ताव इस कार्यालय की अनुशंसा सहित मध्यप्रदेश राज्य वन्यप्राणी बोर्ड की 27वीं बैठक दिनांक 27.09.2024 में विचारार्थ रखा गया था, जिसमें बोर्ड द्वारा निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

“बालाघाट जिले के अंतर्गत कान्हा-नागझीरा-ताडोबा-इन्द्रावती टाइगर कॉरिडोर में दक्षिण बालाघाट सामान्य वनमण्डल में मार्ग टी-02 के कि.मी. 45 से कट्टीपारकला मार्ग लम्बाई 04.83 कि.मी. रकबा 7.65 हैक्टेयर वनभूमि म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, परियोजना क्रियान्वयन ईकाई-1, बालाघाट को मार्ग निर्माण हेतु उपयोग पर देने की वन्यप्राणी अनुमतिसंबंधी प्रस्ताव की मध्यप्रदेश राज्य वन्यप्राणी बोर्ड द्वारा वन्यप्राणियों की सुरक्षा एवं आवागमन की सुविधा एवं एंटी नक्सल ऑपरेशन में उपयोग के दृष्टिगत उक्त अधिरोपित शर्तों एवं प्रेषित पैसेज प्लान में प्रस्तावित 08 स्लेब कल्वर्ट, 12 स्पीडब्रेकर एवं 37 साइन बोर्ड निर्माण किये जाने की शर्त पर अनुशंसा की जाती है। प्रस्ताव की राष्ट्रीय वन्यप्राणी बोर्ड से अनुमति प्राप्त किये जाने हेतु आगामी कार्यवाही की जावे।”

3. प्रकरण में राष्ट्रीय वन्यप्राणी बोर्ड की स्टैंडिंग कमेटी की 81वीं बैठक दिनांक 21.12.2024 में एजेण्डा क्रमांक 81.5.43 में विचारोपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

Decision Taken: After discussions, the Standing Committee decided to approve the proposal subject to the following conditions:

1. The User Agency shall implement the animal passage plan submitted along with the proposal.
2. No labourer will be allowed to stay inside the forest area.
3. Construction work will not be permitted after sun set and before sunrise.
4. All the construction materials shall be carried out from the forest area.
5. User Agency, in consultation with the Forest Department, shall construct speed breakers / rumble strips and install warning signboards at areas sensitive for wildlife crossings.
6. The width of the road shall not exceed the width of a typical forest road.
7. Underpasses/overpasses shall be constructed at wildlife crossing points for uninterrupted movement of wild animals.
8. No trees shall be felled during the construction of this road although vegetation shall be cleared to improve visibility along the road to avoid accident with wild animals.
9. Existing drainage culverts shall be retrofitted to facilitate wildlife crossings by animals.
10. Construction work shall be permitted during daytime. No labour camps shall be established inside the tiger reserve.
11. Construction materials shall be procured from outside the Tiger Reserve/forest area. Construction debris shall be disposed away from the Tiger Reserve/forest area by the User Agency.
12. The alignment of the road and construction activities shall not disrupt any natural water channel.
13. CWLW, Madhya Pradesh shall monitor the compliance of the conditions stipulated in this report at various phases of the project implementation.
14. An annual compliance certificate on the stipulated conditions shall be submitted by the User Agency to the State Chief Wild Life Warden and an annual compliance certificate shall be submitted by the State Chief Wild Life Warden to Government

4. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 05.10.2015 को यह आदेश पारित किया गया है :-

"In all case matters where there is already decision of the Standing Committee of the NBWL the parties shall abide with all the conditions imposed therein."

5. अतः उक्त प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 05.10.2015, राष्ट्रीय वन्यप्राणी बोर्ड की 81वीं बैठक दिनांक 21.12.2024 एवं मध्यप्रदेश राज्य वन्यप्राणी बोर्ड की 27वीं बैठक दिनांक 27.09.2024 में की गई अनुशंसाओं के अनुसार बालाघाट जिले के अंतर्गत कान्हा-नागझीरा-ताडोबा-इन्द्रावती टाइगर कॉरिडोर में दक्षिण बालाघाट सामान्य वनमण्डल में मार्ग टी-02 के कि.मी. 45 से कट्टीपारकला मार्ग लम्बाई 04.83 कि.मी. रकबा 7.65 हैक्टेयर वनभूमि म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, परियोजना क्रियान्वयन ईकाई-1, बालाघाट को मार्ग निर्माण हेतु उपयोग पर

दिये जाने संबंधी प्रस्ताव की निम्न शर्तों के अधीन सैद्धांतिक वन्यजीव अनुमति प्रदान की जाती है:— सशर्त

- 5.1. राष्ट्रीय वन्यप्राणी बोर्ड की स्टैंडिंग कमेटी की 81वीं बैठक दिनांक 21.12.2024 में एजेण्डा क्रमांक 81.5.43 पर लिए गये निर्णय एवं मध्यप्रदेश राज्य वन्यप्राणी बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार अधिरोपित शर्तों का अक्षरशः पालन किया जावे।
- 5.2. प्रकरण में आवेदक संस्था द्वारा राष्ट्रीय वन्यप्राणी बोर्ड की 64वीं बैठक दिनांक 07.08.2021 में एजेण्डा क्रमांक 64.2.1 में लिये गये निर्णय अनुसार वन्यप्राणी कॉरीडोर के विकास हेतु कॉरीडोर में प्रस्तावित मार्ग निर्माण की प्रोजेक्ट कास्ट की 2 प्रतिशत की राशि मध्यप्रदेश राज्य वन्यप्राणी बोर्ड की 16वीं बैठक दिनांक 05.12.2017 को एजेण्डा क्रमांक 16.4 में लिये गये निर्णय अनुसार म.प्र. टाइगर फाउंडेशन सोसायटी के भारतीय स्टेट बैंक, मुख्य शाखा टी.टी. नगर, भोपाल के बचत खाता क्रमांक 10571048460 आई.एफ.एस.सी. कोड SBIN0001308 में जमा करायी जावे। आवेदक संस्था द्वारा कार्य प्रारंभ करने से पूर्व नियमानुसार एन.पी.व्ही. की राशि कैम्पा मद में जमा करायी जावेगी।
- 5.3. कॉरीडोर/वन क्षेत्र में सूर्यास्त के पश्चात एवं सूर्योदय के पूर्व कार्य नहीं किया जायेगा।
- 5.4. निर्माण सामग्री कॉरीडोर क्षेत्र/वन क्षेत्र के बाहर से लायी जावेगी।
- 5.5. संरक्षित क्षेत्र/वन क्षेत्र के भीतर पत्थर तोड़ने/वनभूमि में किसी भी प्रकार का उत्खनन/नदी-नालों से अवैध रेत उत्खनन/वृक्ष कटाई तथा वन संपदा/वन्यप्राणियों एवं उनके रहवास को नुकसान पहुंचाना/आग जलाना पूर्णतः प्रतिबंधित होगा। यह सुनिश्चित करने का दायित्व उपयोगकर्ता विभाग का होगा।
- 5.6. निर्माण के दौरान श्रमिक कैम्प कॉरीडोर क्षेत्र/वनक्षेत्र की सीमा में न लगाया जाये।
- 5.7. श्रमिक कैम्प कॉरीडोर/वन क्षेत्र की सीमा से बाहर कम से कम 01 कि.मी. की दूरी पर लगाया जाये तथा रात्रि के दौरान निर्माण क्षेत्र में वाहन एवं श्रमिकों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा।
- 5.8. मार्ग निर्माण के दौरान प्रस्तावानुसार 256 वृक्षों को काटने के अतिरिक्त अन्य कोई वृक्ष को काटा/नुकसान नहीं पहुंचाया जावेगा। परियोजना हेतु कम से कम वृक्षों की कटाई की जावे।
- 5.9. मार्ग निर्माण के दौरान प्रस्तावानुसार प्रस्तावित क्षेत्र में वन्यजीवों के लिए शमन उपायों के अंतर्गत 08 अधोसंरचनाओं प्रस्तावित की गई। उक्त 05 अधोसंरचनाओं (स्लेब पुलिया) में 10 वृक्षों पातन किया जावे एवं 12 स्पीड ब्रेकर एवं 37 साइन बोर्ड निर्माण किया जावे।
- 5.10. आवेदक संस्था यह सुनिश्चित करें कि वन्यजीव कॉरीडोर क्षेत्र के भीतर निर्माण कार्य की अवधि न्यूनतम रखी जाये क्योंकि लम्बे समय तक निर्माण कार्य जारी रहने से क्षेत्र में वन्यजीवों का रहवास/आबादी एवं आवागमन पूरी तरह से प्रभावित हो सकता है।
- 5.11. आवेदक संस्था को संबंधित वनक्षेत्र प्रभारी द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना होगा तथा निर्माण कार्य प्रारंभ करने एवं समाप्ति की सूचना संबंधित संरक्षित/वन क्षेत्र प्रभारी/वनमण्डलाधिकारी को उपलब्ध करानी होगी।
- 5.12. निर्माण एजेन्सी या उसके कॉन्ट्रैक्टर वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 एवं वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 के प्रावधानों का पालन करना सुनिश्चित करेंगे।
- 5.13. प्रकरण में यदि प्रस्तावित वनभूमि का व्यपवर्तन हो रहा हो तो वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम 1980 के तहत इसकी पृथक से अनुमति प्राप्त की जावे तथा उक्त अनुमति प्राप्त होने के पूर्व निर्माण कार्य न किया जावे।
- 5.14. निर्माण के दौरान कार्य में संलग्न लोगों को, कार्य आरंभ करने के पूर्व ही, इस कार्य के दौरान क्या-क्या सावधानियाँ रखना है, इसके संबंध में जागरूक करा दिया जाये।
- 5.15. उक्त शर्तों/निर्देशों की अवहेलना अथवा पालन न होने पर यह अनापत्ति स्वतः ही निरस्त मानी जावेगी एवं आवेदक विभाग एवं निर्माण एजेन्सी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
- 5.16. आवेदक संस्था एवं संरक्षित क्षेत्र/वनमण्डलाधिकारी द्वारा कार्य के संबंध में वार्षिक पालन प्रतिवेदन (Compliance Report) प्रस्तुत की जावेगी।

आवेदक संस्था द्वारा उक्त दर्शित शर्त क्रमांक-5.2 के अनुसार राशि जमा कराये जाने तथा अन्य शर्तों का पालन करने संबंधी वचन पत्र वनमण्डलाधिकारी, दक्षिण बालाघाट वनमण्डल के माध्यम से इस कार्यालय को प्रेषित करने के उपरांत, प्रकरण में पृथक से अंतिम वन्यजीव अनुमति जारी की जा सकेगी। अंतिम अनुमति के पूर्व कार्य प्रारंभ न किया जावे। उक्त कार्य प्रारंभ करने एवं कार्य समाप्ति की सूचना तथा उपरोक्त शर्तों के संबंध में पालन प्रतिवेदन (Compliance Report) वनमण्डलाधिकारी, दक्षिण बालाघाट सामान्य वनमण्डल के माध्यम से इस कार्यालय को प्रेषित किया जावे।

(शुभरंजन सेन)

प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) एवं
मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक म.प्र.

पृ. क्रमांक/वन्यजीव/व.त.अ.-1/27.06/ 429
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 13/01/2025

1. उप वन महानिरीक्षक, (वन्यप्राणी डिविजन), भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, छठवीं मंजिल, वायु विंग, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली-110003 की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, मध्यप्रदेश, वन भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- ✓ 4. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) वन भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. मुख्य वन संरक्षक, बालाघाट वृत्त बालाघाट वृत्त म.प्र. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6. वनमण्डलाधिकारी, दक्षिण बालाघाट सामान्य वनमण्डल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही प्रेषित। उक्त प्रकरण में अधिरोपित समस्त शर्तों के क्रियान्वयन हेतु आपको प्राधिकृत किया जाता है। प्रकरण में परियोजना लागत की 2 प्रतिशत की राशि एवं नियमानुसार एन.पी.व्ही. की राशि आवेदक विभाग/संस्था से जमा कराकर समस्त अधिरोपित शर्तों का पालन संबंधी वचन पत्र प्राप्त कर की गई कार्रवाई से इस कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें। प्रकरण में अंतिम स्वीकृति के पूर्व कार्य प्रारंभ न करने दिया जावे।

प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) एवं
मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक म.प्र.

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

Status of the Payment made by User Agencies

Help

Click on **Proposal No.** to view Detail of proposal. Click on **Demand letter** to view Uploaded demand letter.

CA : Compensatory Afforestation; Addl CA : Additional Compensatory Afforestation; PCA : Penal Compensatory Afforestation; CAT : Catchment Area Treatment; Addl PA : Additional Charges for protected area; NPV : Net Present Value;

- ☒ To be Verified : This icon shows that the details of the Funds submitted by User Agency are yet to be verified by Nodal Officer.
☒ Verified : This icon shows that the demand has been verified by Nodal Officer. ☒ Challan Generated : This icon shows that the challan has been generated.
☒ Unpaid : This icon shows that the payment yet to be made. ☒ Paid : This icon shows that the payment has been made.

☒ Proposals received on or after 15th July 2014 ☐ All Proposals received upto 14th July 2014

Select Region : Select State :
 Select User Agency :
 Payment Status : ☐ Paid ☐ Unpaid ☒ All
 Enter value for Search :
 SEARCH

Sno.	Proposal Detail	Application_No	Date of IN-PRINCIPLE	Amount to be Paid/Amount Paid (in Rs.)	Payment Status	Payment Detail	Demand Letter
1	FP/MP/ROAD/155398/2022 (../viewreport.aspx?pid=FP/MP/ROAD/155398/2022) Km 45 of T02 to Kattiparkala Road Under Scheme of RCPLWEA Project	ROAD1553982022174	29 Aug 2024	CA: 0/-, Addl CA: 0/- PCA: 0/-, CAT: 0/- Safety Zone: 0/-, Addl PA: 0/- NPV: 8237696/- Road Side Plantation: 4593677/- Total: 12831373/-	☒ Paid	Fund Demand Verified by : 07 Apr 2025 Nodal Officer On Bank Name : Union Bank Of India Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On : 15 Apr 2025 Transaction Date : 17 Apr 2025	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/060420251334458686_FPMROAD1553982022_User_Generated Challan (../UserAccount/Neft_ChallanCorp.aspx?pid=ROAD1553982022



SWACHH BHARAT (HTTPS://SWACHHBHARAT.MYGOV.IN/)



Power To Empower

(HTTP://WWW.DIGITALINDIA.GOV.IN)

(HTTPS://DATA.GOV.IN/)

India.gov.in

(HTTPS://INDIA.GOV.IN/)

myGov (HTTPS://WWW.MYGOV.IN/)



Open Government Data (OGD) Platform India

(HTTP://MEITY.GOV.IN/)



(HTTP://WWW.PMINDIA.GOV.IN/EN/)



(HTTP://WWW.NIC.IN/)

© Content Owned, Updated and Maintained by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India

Terms & Conditions (TermsandConditions.aspx) | Privacy Policy (Privacypolicy.aspx) | Copyright Policy (CopyrightPolicy.aspx) | Hyperlinking Policy (HyperlinkingPolicy.aspx) | Accessibility Statement (Accessibiltystatement.aspx) | Disclaimer (Disclaimer.aspx) | Contact Us (contact.aspx)

For any Technical support, Please Contact EFCCID, NIC, New Delhi, monitoring-fc(at)nic(dot)in

Status of the Payment made by User Agencies

Help

Click on **Proposal No.** to view Detail of proposal. Click on **Demand letter** to view Uploaded demand letter.

CA : Compensatory Afforestation; Addl CA : Additional Compensatory Afforestation; PCA : Penal Compensatory Afforestation; CAT : Catchment Area Treatment; Addl PA : Additional Charges for protected area; NPV : Net Present Value;

To be Verified : This icon shows that the details of the Funds submitted by User Agency are yet to be verified by Nodal Officer.

Verified : This icon shows that the demand has been verified by Nodal Officer.

Unpaid : This icon shows that the payment yet to be made.

Challan Generated : This icon shows that the challan has been generated.

Paid : This icon shows that the payment has been made.

☒ Proposals received on or after 15th July 2014 ☐ All Proposals received upto 14th July 2014

Select Region : Select State :

Select User Agency :

Payment Status : ☐ Paid ☐ Unpaid ☒ All

Enter value for Search :

SEARCH

Sno.	Proposal Detail	Application_No	Date of IN-PRINCIPLE	Amount to be Paid/Amount Paid (in Rs.)	Payment Status	Payment Detail	Demand Letter
1	FP/MP/ROAD/156162/2022 (../viewreport.aspx?pid=FP/MP/ROAD/156162/2022) Construction of road from Ternni to Tattidhar via Keradehi Road under RCPLWEA SCHEME	ROAD1561622022064	07 Nov 2023	CA: 6520254/- Addl CA : 0/- PCA: 0/-, CAT : 0/- Safety Zone: 0/-, Addl PA : 0/- NPV: 1566452/- Total : 8086706/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On 02 Jan 2024 Bank Name : Union Bank Of India Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On 02 Jan 2024 Transaction Date : 04 Jan 2024	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/020120241343526904_FPMPROD1561622022) Generated Challan (../UserAccount/Neft_ChallanCorp.aspx?pid=ROAD156
2	FP/MP/ROAD/156162/2022 (../viewreport.aspx?pid=FP/MP/ROAD/156162/2022) Construction of road from Ternni to Tattidhar via Keradehi Road under RCPLWEA SCHEME	ROAD1561622022419	07 Nov 2023	CA: 0/-, Addl CA : 0/- PCA: 0/-, CAT : 0/- Safety Zone: 0/-, Addl PA : 0/- NPV: 0/-, Road Side Plantation 2904034/- Total : 2904034/-	Challan Generated Unpaid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On 05 Jun 2025 Bank Name : Union Bank Of India Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On 05 Jun 2025	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/030620251346039223_FPMPROD1561622022) Generated Challan (../UserAccount/Neft_ChallanCorp.aspx?pid=ROAD156



(HTTPS://SWACHHBHARAT.MYGOV.IN/)



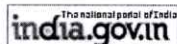
Power To Empower

(HTTP://WWW.DIGITALINDIA.GOV.IN)



Open Government Data (OGD) Platform India

(HTTPS://DATA.GOV.IN/)



(HTTPS://INDIA.GOV.IN/)



(HTTPS://WWW.MYGOV.IN/)



MeitY

(HTTP://MEITY.GOV.IN/)



(HTTP://WWW.PMINDIA.GOV.IN/EN/)



(HTTP://WWW.NIC.IN/)

© Content Owned, Updated and Maintained by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India

Terms & Conditions (TermsandConditions.aspx) | Privacy Policy (Privacypolicy.aspx) | Copyright Policy (CopyrightPolicy.aspx) | Hyperlinking Policy (HyperlinkingPolicy.aspx) | Accessibility Statement (Accessibilitystatement.aspx) | Disclaimer (Disclaimer.aspx) | Contact Us (contact.aspx)

For any Technical support, Please Contact EFCCID, NIC, New Delhi, monitoring-fc(at)nic(dot)in



Status of the Payment made by User Agencies

Help

Click on **Proposal No.** to view Detail of proposal. Click on **Demand letter** to view Uploaded demand letter.

CA : Compensatory Afforestation; Addl CA : Additional Compensatory Afforestation; PCA : Penal Compensatory Afforestation; CAT : Catchment Area Treatment; Addl PA : Additional Charges for protected area; NPV : Net Present Value;

- ☒ To be Verified : This icon shows that the details of the Funds submitted by User Agency are yet to be verified by Nodal Officer.
☒ Verified : This icon shows that the demand has been verified by Nodal Officer.
☒ Unpaid : This icon shows that the payment yet to be made.
☒ Challan Generated : This icon shows that the challan has been generated.
☒ Paid : This icon shows that the payment has been made.

☒ Proposals received on or after 15th July 2014
 ☐ All Proposals received upto 14th July 2014

Select Region : Select State :
 Select User Agency :
 Payment Status : ☐ Paid ☐ Unpaid ☒ All
 Enter value for Search :
 SEARCH

Sno.	Proposal Detail	Application_No	Date of IN-PRINCIPLE	Amount to be Paid/Amount Paid (in Rs.)	Payment Status	Payment Detail	Demand Letter
1	FP/MP/ROAD/156107/2022 (../viewreport.aspx?pid=FP/MP/ROAD/156107/2022) Newerwahi to Wardha Road construction under RCPLWEA scheme	ROAD1561072022279	07 Nov 2023	CA: 0/-, Addl CA : 0/- PCA: 0/-, CAT : 0/- Safety Zone: 0/-, Addl PA : 0/- NPV: 0/-, Road Side Plantation 3266819/- Total : 3266819/-	☒ Paid	Fund Demand Verified by : 14 May 2025 Nodal Officer On Bank Name : Union Bank Of India Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On : 14 May 2025 Transaction Date : 28 May 2025	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/100520251434363345_FPMROAD1561072022) Generated Challan (../UserAccount/Neft_ChallanCorp.aspx?pid=ROAD156)
2	FP/MP/ROAD/156107/2022 (../viewreport.aspx?pid=FP/MP/ROAD/156107/2022) Newerwahi to Wardha Road construction under RCPLWEA scheme	ROAD1561072022384	07 Nov 2023	CA: 5648652/-, Addl CA : 0/- PCA: 0/-, CAT : 0/- Safety Zone: 0/-, Addl PA : 0/- NPV: 2420322/- CA RDF : 16216427/- Total : 24285401/-	☒ Paid	Fund Demand Verified by : 02 Jan 2024 Nodal Officer On Bank Name : Union Bank Of India Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On : 02 Jan 2024 Transaction Date : 04 Jan 2024	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/020120241355505485_FPMROAD1561072022) Generated Challan (../UserAccount/Neft_ChallanCorp.aspx?pid=ROAD156)



SWACHH BHARAT

(HTTPS://SWACHHBHARAT.MYGOV.IN/)



Power To Empower

(HTTP://WWW.DIGITALINDIA.GOV.IN)

(HTTPS://DATA.GOV.IN/)



(HTTPS://INDIA.GOV.IN/)



(HTTPS://WWW.MYGOV.IN/)

(HTTP://MEITY.GOV.IN/)



(HTTP://WWW.PMINDIA.GOV.IN/EN/)



(HTTP://WWW.NIC.IN/)



Open Government Data (OGD) Platform India

MeitY

वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 20 सितम्बर 2024

क्रमांक/ 1698 /2196038/2024/10-3 :: भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927), की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे।

अनुसूची

जिला - बालाघाट

वनमंडल - दक्षिण बालाघाट (सा.)

तहसील - वारासिवनी

वन परिक्षेत्र - वारासिवनी (सा.)

अ. क्र.	वनखण्ड की भूमि का विवरण					वनखण्ड की सीमाएं
	प्रस्तावित वनखंड का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा क्र.	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	
1.	बकेरा (अ)	बकेरा	छोटे झाड़ का जंगल	2/1/2	6.216	उत्तर- आरक्षित वनखण्ड बकेरा के मुनारा क्र. 4 से प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्र. 1 से मुनारा क्र. 8 तक कृत्रिम वनसीमा।
				73/2/2	3.722	पूर्व - प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्र. 8 से मुनारा क्र. 12 तक की कृत्रिम वनसीमा। दक्षिण - प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्र. 12 से 13 से आरक्षित वनखण्ड बकेरा की वनसीमा लाईन तक कृत्रिम वनसीमा। पश्चिम - आरक्षित वनखण्ड बकेरा की वनसीमा लाईन से मुनारा क्र. 5 से 4 तक वनसीमा।
2.	बकेरा (ब)	बकेरा	छोटे झाड़ का जंगल	88/1/1/2	7.000	उत्तर- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 1 से 2 तक और मुनारा क्र. 2 से आरक्षित वनखण्ड बघोली के कक्ष क्र. 540 के मुनारा क्र. 17 तक की कृत्रिम वनसीमा। पूर्व - आरक्षित वनखण्ड बघोली मुनारा क्र. 17 से मुनारा क्र. 13 तक की वनसीमा। दक्षिण - आरक्षित वनखण्ड बघोली मुनारा क्र. 13 से मुनारा क्र. 3 एवं 4 तक की कृत्रिम वनसीमा लाईन। पश्चिम - प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 4 से 6 तक और मुनारा क्र. 6 से 1 तक की कृत्रिम वनसीमा।
कुल योग					16.938	

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार: -

1. (i) भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के आदेश क्रमांक 6-एमपीआर 023/2023-बीएचओ/1/80827 दिनांक 29.08.2024 में अधिरोपित शर्त के अनुसार महाप्रबंधक, मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, परियोजना क्रियान्वयन इकाई क्रमांक-1, 2 बालाघाट, जिला बालाघाट की स्वीकृत परियोजना कि.मी 45 ऑफ टी 02 से कट्टीपारकला तक मार्ग निर्माण के प्रकरण क्रमांक FP/MP/Road/155398/2022 में प्रभावित वनभूमि 6.705 हेक्टेयर।

(ii) भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के आदेश क्रमांक 6-एमपीबी 033/2023-बीएचओ/ दिनांक 07.11.2023 से स्वीकृत परियोजना टेमनी से टाटीधार क्वाया करादेही तक मार्ग निर्माण के प्रकरण क्रमांक FP/MP/Road/156162/2022 में प्रभावित वनभूमि 1.275 हेक्टेयर।

इस प्रकार उपरोक्त दो प्रकरणों में प्रभावित कुल 7.980 हे० वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 16.938 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर बालाघाट, के आदेश क्रमांक/रा.प्र.क्र./0031/अ-59 वर्ष 22-23 दिनांक 05.12.2022 एवं संशोधित आदेश दिनांक 14.03.2024 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण।

2. अन्य कारणों का विवरण - निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी तहसीलदार वारासिबनी, जिला-बालाघाट के प्रमाण-पत्र के आधार पर अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-

1. व्यक्तिगत अधिकार: - उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है।

2. सामुदायिक अधिकार: - उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है।

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अतुल कुमार मिश्रा, सचिव.

भोपाल, दिनांक 20 सितम्बर 2024

क्र.-1698-2196038-2024-दस-3.-भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र.-1698-2196038-2024-दस-3, दिनांक 20 सितम्बर 2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अतुल कुमार मिश्रा, सचिव.

Bhopal, the 20th September 2024

No./1698/2196038/2024/10-3 :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time.

SCHEDULE

District : - Balaghat
Forest Block: - South Balaghat (T)

Tahsil : - Waraseoni
Forest Range : - Waraseoni (T)

S. N.	Name of Proposed Forest Block	Details of Land Included			Area (Hectare)	Forest Block Boundaries
		Name of Village	Present head of land	Khasra No.		
1.	Bakera (A)	Bakera	Chhote Jhad ka Jungle	2/1/2	6.216	North- Artificial forest boundary from Pillar No. 4 of Reserved Forest Block Bakera to Pillar No. 1 to Pillar No. 8 of Proposed Forest Block.
				73/2/2	3.722	East - Artificial forest boundary from Pillar No. 8 to Pillar No. 12 of Proposed Forest Block.

						South- Artificial forest boundary from Pillar No. 12 to 13 of Proposed Forest Block to the forest boundary line of Reserved Forest Block Bakera. West - Forest boundary from the forest boundary line of Reserved Forest Block Bakera to Pillar No. 5 to 4.
2.	Bakera (B)	Bakera	Government Land (Chhote Jhad ka Jungle)	88/1/1 /2	7.000	North - Artificial forest boundary from Pillar No. 1 to 2 of the proposed protected forest block and from Pillar No. 2 to Pillar No. 17 of compartment No. 540 of reserved forest block Bagholi. East - Forest boundary from Pillar No. 17 to Pillar No. 13 of reserved forest block Bagholi. South - Artificial forest boundary line from Pillar No. 13 of reserved forest block Bagholi to Pillar No. 3 and 4. West - Artificial forest boundary from Pillar No. 4 to 6 and Pillar No. 6 to 1 of the proposed protected forest block.
Total					16.938	

(A) Reason for publication of notification :-

- (i) In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment, Forest & Climate Change, Government of India's letter No. 6-MPB 023/2023-BHO/I/80827 dated 29-08-2024, and in lieu of 6.705 hectare of forest land affected in sanctioned project "road construction from KM 45 of T 02 to Kattiparkala, proposal no. FP/MP/Road/155398/2022 of General Manager, Madhya Pradesh Rural Road Development Authority, PIU-I Balaghat, district Balaghat

(ii) In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment, Forest & Climate Change, Govt. of India's letter No. 6-MPB 033/2023-BHIO dated 07-11-2023 and in lieu of 1.275 ha. forest land affected in sanctioned project "Road construction Temni to Tattidhar Via Keradehi" proposal no. FP/MP/Road/156162/2022 of General Manager, Madhya Pradesh Rural Road Development Authority, PIU-1, 2 Balaghat, District Balaghat

In lieu of total 7.980 ha. forest area affected in the above two project, the non forest land of 16.938 hectare as mentioned in the schedule above, transferred or mutated in favour of Madhya Pradesh Government, Forest Department by order No. 0031/A-59 year 22-23 dated 05.12.2022 and amended order date 14-03-2024 of Collector Balaghat for the purpose of Compartmentensatory afforestation.

2. Details of other Reasons- Nil

- (B) The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per Compartmenttent Revenue officer report of Tahsildar- Waraseoni, District- Balaghat are as under.**

- Individual Rights - There are no individual rights on the said land.
- Community Rights - There are no Communities rights on the said land.

Therefore, the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh.
 ATUL KUMAR MISHRA. Secy

कार्यालय महाप्रबंधक
म. प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, परियोजना क्रियान्वयन इकाई क्र.-1, बालाघाट
फोननं. - 07632-240334, E-mail - gm_btpiul@rediffmail.com

आपन क्रमांक / लेखा. / 2025 453
पति.

बालाघाट दिनांक 11 / 04 / 2025

शाखा प्रबंधक
सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
शाखा-बालाघाट (म.प्र.)

विषय :- M.P.Tiger Foundation Society मद म राशि NEFT/RTGS करने बाबत।

उपरोक्त विषयांतर्गत M.P.Tiger Foundation Society के निम्नलिखित खाता क्रमांक में राशि जमा किया जाना है। जिस हेतु बैंक क्रमांक 162081 दिनांक 11.04.25 राशि रु. 74,73,420.00 (चौहत्तर लाख तिहत्तर हजार चार सौ बीस मात्र) संलग्न कर सादर प्रेषित है। कृपया उक्त बैंक खाते में NEFT/RTGS करते हुए CRN (Cyber Receipt No.) / UTR No. छाया प्रति सहित प्रदाय करने का कष्ट करें।

खाते का विवरण निम्नानुसार है:-

S.N	Beneficiary Name	IFSC Code	Pay To Account NO.	Amount	Bank Name & Address
1	MADHYA PRADESH TIGER FOUNDATION SOCIETY	SBIN0001308	10571048460	26,22,000	State Bank Of India T.T. Nagar, Main Branch, Bhopal
2				28,13,220	
3				10,92,000	
4				9,46,200	
			योग	74,73,420	(KM 45 of To2 To Katti par ka)

12

महाप्रबंधक

म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण
परियोजना क्रियान्वयन इकाई क्र.-1, बालाघाट





आदेश द्वारा मुख्य वन संरक्षक वनवृत्त,
बालाघाट, मध्यप्रदेश - 481001

Email- cfbalaghat@mpforest.org, cfbghat@mp.gov.in दूरभाष : 07632-241201 फैक्स : 07632-240268

--:आदेश :-

आदेश क्रमांक/व्यय.आ./101

बालाघाट, दिनांक 28/3/25

मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग वल्लभ भवन, मंत्रालय भोपाल के पत्र क्रमांक/एफ/1194/191/2022/9 नियम/चार दिनांक 14.07.2022 (बुक ऑफ फाइनैशियल पावर्स वाल्यूम-2) द्वारा प्रदत्त अधिकार के तहत भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भोपाल के पत्र क्रमांक/6 एम.पी.आर./023/2023-बीएचओ/1/80827 दिनांक 29.08.2024 सक प्राप्त स्वीकृति में उल्लेखित शर्तों के अनुसार बालाघाट जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (RCPLWE) के अंतर्गत कि.मी. 45 ऑफ टी 02 से कट्टीपारकला तक मार्ग निर्माण हेतु 6.705 हेक्टेयर वनभूमि मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, बालाघाट को उपयोग पर देने के ऑन लाईन प्रकरण क्रमांक/ FP/MP/ROAD/155398/2022) में शासन द्वारा जारी सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त क्र0-A(8) के अनुपालन में रोड साईड प्लांटेशन योजना के संबंध में वनमण्डलाधिकारी, दक्षिण सामान्य वनमण्डल बालाघाट से प्राप्त प्रस्ताव अनुसार 7.450 कि.मी. असिंचित सड़क किनारे वृक्षारोपण कार्य की वर्ष 2025-26 से (ग्यारह वर्षीय) तकनीकी स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

कार्य का विवरण

क्र.	परिक्षेत्र का नाम	कार्य नाम	स्थल	रकबा	प्राक्कलन कुल राशि
1	पश्चिम लांजी सामान्य	प्रधान मंत्री सड़क योजना अन्तर्गत सड़क के किनारे वृक्षारोपण	वारी रिसैवाड़ा से सिंगोला रोड़ के दोनो ओर	7.450 कि.मी.	4593677 /-

- 1 कार्य का संपादन तकनीकी स्वीकृति के साथ संलग्न प्राक्कलन एवं मानचित्र में दर्शित तकनीकी मापदण्डों के अनुसार कराया जावे।
- 2 स्वीकृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट राशि का व्यय स्वीकृत नार्मस , जाबदर एवं उपलब्ध बजट आवंटन तक सीमित रहेगा। उपरोक्त कार्य के संपादन के पूर्व कार्य आयोजना में निहित प्रावधानों का भलीभांति अवलोकन किया जाये, किसी भी परिस्थिति में कार्य आयोजना से विचलन होने पर सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के बगैर कार्य का संपादन न कराया जाये।
- 3 उपरोक्त कार्य CAF Rules 2018 के नियमों का पालन करते हुये किया जाना सुनिश्चित करें।
- 4 कय नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाये।
- 5 वृक्षारोपण पंजी, माप पुस्तिका (M.B.) आदि अभिलेख विधिवत संधारित किये जाये।
- 6 कैम्पा विंग के समय-समय पर जारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाये।

स्वीकृत पंजी पृष्ठ क्रमांक अ.क्र. इन्द्राज किया गया।

(ए.पी.एस.संगर)

भा.व.से.

मुख्य वनसंरक्षक

वनवृत्त बालाघाट म.प्र.

बालाघाट, दिनांक 28/3/2025

बालाघाट, दिनांक 28/3/2025

/ 447 दिनांक 27.03.2025 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

मुख्य वनसंरक्षक

वनवृत्त बालाघाट म.प्र.

पृष्ठा. क्रमांक/ 1608

नोटिफिकेशन :- वनमंडलाधिकारी दक्षिण सामान्य वनमंडल बालाघाट की ओर उनके पत्र क्रमांक/व्यय.आ. / 447 दिनांक 27.03.2025 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।



मध्यप्रदेश शासन वन विभाग भोपाल



प्रोजेक्ट रिपोर्ट

कार्य का नाम	- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (RCPLWEA) के अंतर्गत वन परिक्षेत्र पश्चिम लांजी (सा.) में प्रस्तावित मार्ग टी-20 के कि.मी. 45 से कट्टीपारकला तक मार्ग की एवज में वृक्षारोपण कार्य
लम्बाई	- 7.450 कि.मी.
योजना अवधि	- वर्ष 2025-26 से 2035-36 (11 वर्षीय योजना)
लागत	- 4593677 /- लाख रुपये

वन परिक्षेत्र पश्चिम लांजी सामान्य
दक्षिण सामान्य वनमंडल बालाघाट (म0प्र0)

WARI RISEWADA TO SINGOLA ROADSIDE PLANTATION PROJECT

बालाघाट जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत वन परिक्षेत्र पश्चिम लांजी सा. दक्षिण सामान्य वनमंडल बालाघाट के अंतर्गत टी-20 के कि.मी. 45 से कट्टीपारकला तक मार्ग निर्माण लंबाई 7.450 कि.मी. हेतु वारी रिसेवाड़ा से सिंगोला मार्ग (लोक निर्माण विभाग) 7.450 कि.मी. लम्बाई पर सड़क किनारे वृक्षारोपण योजना म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण परियोजना क्रियान्वयन इकाई क.1 बालाघाट जिला बालाघाट म.प्र. के अधिकारियों से चर्चा उपरान्त तैयार की गई है। जिसमें व्यय का प्रावधान संबंधित अधिकारियों से चर्चा उपरान्त रखा गया है। वृक्षारोपण से संबंधित जानकारी निम्नानुसार है:-

A. Project Details:-

1. Name of Department

मध्य प्रदेश वन विभाग भोपाल

2. Project Implementation Division of Government Department

दक्षिण सा. वनमंडल बालाघाट प्रदेश वन विभाग भोपाल

3. Objective of the project Zone

प्रस्तावित वृक्षारोपण का मुख्य उद्देश्य दीर्घकालीन ग्रीन कोरिडोर का निर्माण करना, जिसमें शोभादार, छायादार, फलदार, पौधों के साथ-साथ औषधीय पौधों को लगाकर, पर्यावरणीय प्रदूषण को नियंत्रित करना एवं ग्रामिणों की आय के अवसर उपलब्ध कराना ।

4. Proposed Road

लोक निर्माण विभाग (PWD) वारी रिसेवाड़ा से सिंगोला मार्ग

5. Name of Agency

म.प्र.ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण परियोजना क्रियान्वयन इकाई क.1 बालाघाट जिला बालाघाट

6. Length of Road

7.450 कि.मी

7. Total Estimated Project Cost (Lakhs)

योजना की कुल लागत	-	4593677 /-
औसत व्यय प्रति कि.मी.	-	616601 /-
प्रति पौधा व्यय	-	2466 /-

8. Expected Employment to be Generated (Mandays)

8489 मानव दिवस

B. Site Specific Detail Project (DPR) the Schedule of activities
enclosed for reference in project preparation as annexure-1

प्रस्तावित वृक्षारोपण की 11 वर्षीय योजना रिपोर्ट संलग्न है।

9. Name Average width available for Avenue Plantation

प्रस्तावित वृक्षारोपण क्षेत्र में मार्ग के दोनों ओर एक पंक्ति में 3-3 मीटर का क्षेत्र वृक्षारोपण हेतु उपलब्ध है। जिसमें एक पंक्ति में 4mt X 4mt के अंतराल में 7.450 KM मार्ग पर 1863 पौधों का रोपण प्रस्तावित किया गया है।

10. Approximate Area for Median Plantation (Hectares)

2.980 Hectares

11. Type of Soil

प्रस्तावित वृक्षारोपण क्षेत्र की मृदा रेतीली दोमट एवं कुछ स्थल पर मुरुमी मिट्टी है।

12. Species Planned for Avenue plantation

गुलमोहर, कचनार, सामिया, पेल्टाफार्म, करंज, अमलतास

13. Total number of Plants in Project

प्रति कि.मी. 250 पौधे (दोनों ओर एक-एक पंक्तियों में) इस प्रकार 7.450 कि.मी. में कुल 1863 पौधे रोपित किये जावेंगे ।

14. Sustainable Harvesting

प्रस्तावित योजना के 11 वर्ष पूर्ण होने के उपरान्त वृक्षारोपण संबंधित संस्था को हस्तांतरित कर दिया जावेगा।

15. Planting Materials

प्रस्तावित वृक्षारोपण क्षेत्र में कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक कक्ष – अनुसंधान विस्तार एवं लोकवार्निकी, मध्यप्रदेश, भोपाल के पत्र क्रमांक 2857 भोपाल दिनांक 06.11.2018 के निर्देशानुसार मानकीकरण युक्त स्वस्थ पौधों का रोपण किया जावेगा।

16. Pesticide/Insecticide/Fungicide

प्रस्तावित वृक्षारोपण क्षेत्र में गड़दों की खुदाई उपरान्त गड़दों में उपजाऊ मिट्टी एवं बी.एस. सी./क्लोरो पायरीफास का उपयोग किया जावेगा तथा निंदाई के साथ क्लोरो पायरीफास/ साइफर मेथिन का उपयोग कीटनाशक के रूप में किया जावेगा।

17. Manure/compost/Fertilizer

प्रस्तावित योजना के वृक्षारोपण का कुछ क्षेत्र मुरमीला होने से गड्ढों में उपलब्ध मिट्टी की गुणवत्ता अच्छी नहीं होने के कारण पौधों की त्वरित वृद्धि हेतु पृथक से गड्ढे के आयतन का 30 प्रतिशत उपजाऊ काली मिट्टी से तथा 15 प्रतिशत कम्पोस्ट खाद में अच्छी तरह से मिलाकर भराव करने एवं रासायनिक एवं जैविक खाद पौधा रोपण एवं निंदाई के साथ डालने का प्रावधान योजना में किया गया है।

18. Irrigation Methodology

सिंचाई का प्रावधान समय – समय पर किया गया है।

19. Plantation protection

प्रस्तावित वृक्षारोपण में पौधों की सुरक्षा एवं समुचित वृद्धि हेतु प्रतिपौधा (ईट, रेत, सीमेंट से बने) Treeguard लगाकर पौधों की सुरक्षा का प्रावधान योजना में किया गया है। तथा वृक्षारोपण की सुरक्षा हेतु एक सुरक्षा श्रमिक का प्रावधान भी योजना में किया गया है। प्रति पौधा Treeguard हेतु गणना पत्रक संलग्न है।

Involvement of NGO/SHG/Gram Panchayat etc.

प्रस्तावित वृक्षारोपण योजना विभागीय होने से क्षेत्र के समीपस्थ ग्रामों की वन सुरक्षा समिति को योजना से लाभान्वित करने के लिये समिति सदस्यों को रोजगार उपलब्ध कराया जावेगा।

20. Availability and source of Labour to be engaged

प्रस्तावित वृक्षारोपण मार्ग ग्रामीण क्षेत्र से होकर गुजरने के कारण समीपस्थ ग्रामों के श्रमिक कार्य हेतु उपलब्ध हो सकेंगे।

C. Post Project Plan

22. Plan for fruit/flower/other forest products harvest from plantation

योजना में मार्ग की सुंदरता एवं हरियाली के लिये शोभादार, छायादार वृक्षों के साथ-साथ फलदार एवं औषधीय पौधों का रोपण कार्य किया जावेगा। जो कि ग्रामीणों द्वारा उपयोग में लाये जायेंगे।

23. Potential Beneficiaries-Community/SHG/forest products Enterprise

प्रस्तावित वृक्षारोपण का मुख्य उद्देश्य दीर्घकालीन ग्रीन कोरिडोर का निर्माण करना, जिसमें फलदार पौधों के साथ-साथ औषधीय पौधों को लगाकर भविष्य में ग्रामीणों को वृक्षों से आय के अवसर उपलब्ध करना।

30. Expected Income for local Community/VFCs/SHGs and NHAI

प्रस्तावित योजना में मार्ग किनारे पौधों का रोपण किया जावेगा, जिसमें फलदार एवं औषधीय पौधे सम्मिलित हैं, उनसे भविष्य में ग्रामीणों को वृक्षों से आय के साधन उपलब्ध हो सकेंगे।

D. Innovation or Salient feature of project proposal

31. Brief of innovation approach in planting, pitting, fancing, Irrigation, weeding, maintenance etc.

प्रस्तावित योजना का मुख्य उद्देश्य दीर्घ कालीन ग्रीन कोरिडोर के साथ-साथ मार्ग की सुंदरता बढ़ाना पर्यावरणीय प्रदूषण को कम करना तथा समीपस्थ ग्रामों के ग्रामीणों को योजना के माध्यम से रोजगार के अवसर उपलब्ध करना है, जिसमें वृक्षारोपण की 11 वर्षीय योजना में ग्रामीणों को 11 वर्ष तक रोजगार उपलब्ध हो सकेगा तथा भविष्य में फलदार एवं औषधीय वृक्षों से आय के अवसर उपलब्ध हो सकेंगे।

प्रस्तावित वृक्षारोपण क्षेत्र में रिक्त स्थानों पर समान अंतराल पर 0.45x0.45x0.45 मी. आकार के गड्ढे खोदकर उसमें उपजाऊ मिट्टी, वर्मीकम्पोस्ट, रसायनिक खाद एवं कीटनाशक का उपयोग कर वृक्षारोपण की सफलता सुनिश्चित करना।

रोपण की सफलता एवं पौधों की सुरक्षा हेतु Treeguard का उपयोग कर पौधों की सुरक्षा की जावेगी। प्रति पौधा Treeguard हेतु गणना पत्रक संलग्न है।

पौधों की त्वरित वृद्धि हेतु रोपण क्षेत्र के समीपस्थ स्थित तालाब, कुओं से सिरबोझ द्वारा पानी लाकर सिंचाई करना।

पौधों के वृद्धि हेतु अनुपयोगी घास एवं खरपतवार को अलग कर चारों ओर 01 मीटर व्यास में निंदाई एवं गुड़ाई करना तथा 01 मीटर चौड़ी पट्टी में घास की सफाई एवं छिलाई कर गर्मी में पौधों की आग से सुरक्षा करना।

पौधों की सुरक्षा एवं देखरेख हेतु एक सुरक्षा श्रमिक का प्रावधान किया गया है, श्रमायुक्त की मजदूरी दर में वृद्धि होन पर प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत मजदूर दर में वृद्धि के साथ योजना तैयार कि गई है। आवश्यकतानुसार खाद, कीटनाशक का उपयोग एवं सतत निगरानी, अनुश्रवण एवं मुल्यांकन के साथ योजना अवधि के बाद वृक्षारोपण को उत्तम गुणवत्ता के साथ अच्छी स्थिति में संबंधित संस्था को हस्तांतरित करना।

भाग - 2
(प्रमाण पत्र)

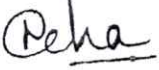
बालाघाट जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (RCPLWEA) के अन्तर्गत वन परिक्षेत्र पश्चिम लांजी (सा.) में प्रस्तावित मार्ग टी-20 के कि.मी. 45 से कट्टीपारकला मार्ग निर्माण लंबाई 7.450 कि.मी. प्रभावित रकबा 6.705 हेक्टेयर हेतु वनभूमि व्यवर्तन का प्रस्ताव क्रमांक- (FP/MP/155398/2022) में भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल के पत्र क्रमांक/6-MPR023/20233-BHO/1/80827 दिनांक 29.08.2024 के द्वारा जारी सैद्धांतिक स्वीकृत में अधिरोपित शर्त (A) 8 (A road side plantation scheme shall be submitted. The requisite amount shall be deposited in CAMPA fund by the user Agency.) के पालन में मार्ग किनारे रोपण योजना के पालन में पश्चिम लांजी (सा.) वन परिक्षेत्र अन्तर्गत अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग (PWD) एवं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) की वारी- रिसेवाड़ा से सिंगोला रोड़ के दोनो ओर 07.450 कि.मी. में रोड़ साईड प्लांटेशन स्कीम। मेरे द्वारा निरीक्षण एवं सत्यापन किया गया है, एवं निरीक्षण के समय प्रस्तावित प्रस्ताव में उल्लेखित उपरोक्तानुसार जानकारी सही पाई गई। प्रस्तावित क्षेत्र उपचार कार्य/वृक्षारोपण के योग्य है, तथा प्रोजेक्ट रिपोर्ट का परीक्षण किया गया, तकनीकी स्वीकृति योग्य है।

प्रोजेक्ट अनुमोदन हेतु अनुशंसा की जाती है।

निरीक्षण दिनांक - 22.03.25


उपवनमंडलाधिकारी
लांजी (सा.) उपवनमंडल

निरीक्षण दिनांक - 15/3/25


उपवनमंडलाधिकारी
पश्चिम लांजी (सा.) उपवनमंडल


वनमंडलाधिकारी
दक्षिण (सा0) वनमंडल बालाघाट

अनुमोदित
तकनीकी स्वीकृति आदेश क्रमांक/..... दिनांक द्वारा जारी की गई है।

वनसंरक्षक
बालाघाट वनवृत्त (म0प्र0)

रोड साईड प्लांटेशन स्कीम

Patch no.	Piller no.	Length on LHS	Length on RHS	Total length in meters
1	0-1	270	364	634
2	1-2	342	344	686
3	2-3	717	763	1480
4	3-4	371	365	736
5	4-5	861	815	1676
6	5-6	835	877	1712
7	6-7	275	251	526
Total length		3671	3779	7450

Peha

वन उपरिक्षेत्र अधिकारी
पश्चिम लांछी सा

गिट जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (RCPLWEA) के अन्तर्गत वन परिक्षेत्र पश्चिम लांजी (सा.) में प्रस्तावित मार्ग 20 के कि.मी. 45 से कट्टीपारकला मार्ग निर्माण लंबाई 7.450 कि.मी. प्रभावित रकबा 6.705 हेक्टेयर हेतु वनभूमि व्यपवर्तन का आव क्रमांक- (FP/MP/155398/2022) में भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल के क्रमांक/6-MPR023/20233-BHO/1/80827 दिनांक 29.08.2024 के द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृत में अधिरोपित शर्त (A) 8 (A road side plantation scheme shall be submitted. The requisite amount shall be deposited in CAMPA fund by the user Agency.) के पालन में मार्ग किनारे रोपण योजना के पालन में पश्चिम लांजी (सा.) वन परिक्षेत्र अन्तर्गत अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग (PWD) एवं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) की वारी- रिसेवाड़ा से सिंगोला रोड़ के दोनो ओर 07.450 कि.मी. में रोड़ साईड प्लांटेशन स्कीम।

वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित मार्ग का नाम - वारी रिसेवाड़ा से सिंगोला मार्ग (लोक निर्माण विभाग एवं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना)

वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित मार्ग की लम्बाई - 7.450 कि.मी.

असिंचित

क्षेत्र तैयारी वर्ष 2025-2026
योजना का प्रथम वर्ष 2025-26

मजदूरी दर- 456/-

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	राशि
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई		
1	सर्वे एवं सीमांकन हे०	2.980	हेक्टेयर	0.45	प्रति हे०	1.34	611 ✓
2	क्षेत्र सफाई (हे०)	2.980	हेक्टेयर	4.00	प्रति हे०	12	5436 ✓
3	गड्ढा खुदाई हेतु स्टेकिंग एवं एलाइनमेंट	1863	गड्ढे	2.5	प्रति हजार	5	2124 ✓
4	रोपण हेतु गड्ढा खुदाई संख्या						
	45x45x45 cm.	1863	गड्ढे	5	प्रति सैकड़ा	93	42476 ✓
5	गड्ढों में मिट्टी बदलने हेतु कय आयतन का 30 प्रतिशत	51	घ०मी०	1.5	प्रति घ०मी०	76.365	34822 ✓
6	उपजाऊ मिट्टी, स्थानीय मिट्टी एवं जैविक खाद का मिश्रण तैयार कर गड्ढों में डालना	1863	गड्ढे	1.5	प्रति सैकड़ा	28	12743 ✓
7	अन्य व्यय (चुगा, पेंट, बोर्ड, जैविक खाद, फिक्स्ड कैमरा ट्रेप बैटरी एवं मेमोरी सहित कय इत्यादि)	LS				400	182400 ✓
योग:-						615	280613 ✓

उपवनमण्डल अधिकारी
लांजी (सा.) उपवनमण्डल

Peha
वन परिक्षेत्र अधिकारी
पश्चिम लांजी (सा.) सा

योजना का द्वितीय वर्ष 2026-27
(वृक्षारोपण वर्ष 2026-27)

मजदूरी दर-492/-

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	राशि
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई		
1	रोपण कार्य						
	प्रथम रोपण हेतु पौधा क्रय संख्या	1863	पौधे	0.03546	पौधा	66	32502
	मृत पौधों को बदलने हेतु पौधा संख्या 20 प्रतिशत	373	पौधे	0.03546	पौधा	13	6507
2	पौधों का परिवहन (संख्या)						
	ट्रक/ट्रैक्टर द्वारा	2236	पौधे	1.50	सैकड़ा	34	16502
	सिर बोझ द्वारा 1 कि०मी०	2236	पौधे	0.40	सैकड़ा	9	4400
3	रोपण						
	45x45x45 cm.	1863	गड्डे	1.80	सैकड़ा	34	16499
	पौधों की सुरक्षा हेतु रोपित पौधों के चारों ओर से ईट, रेत, सीमेंट से बने ट्रिगार्ड (उचाई 3 फीट) से सुरक्षित करना	1863	LS			3936	1936556
5	पौधों में प्रथम निंदाई	1863	पौधे	1.25	सैकड़ा	23	11457
6	पौधों में द्वितीय निंदाई	1863	पौधे	1.00	सैकड़ा	19	9166
7	खाद एवं कीटनाशक दवा डलवाई	1863	पौधे	0.60	सैकड़ा	11	5500
8	सुरक्षा 1 श्रमिक 09 माह	1	1x09			234	115128
9	सिंचाई कार्य:- रोपण पश्चात पौधों में ग्रीष्मकालीन सिंचाई 15 फरवरी से 31 मई तक आवश्यकतानुसार प्रति सप्ताह 02 सिंचाई कुल सिंचाई 30 प्रति पौधा कुल सिंचाई 1863X30 = 55890 की सिंचाई 1 कि. मी. तक सिरबोझ द्वारा पानी लाकर सिंचाई कार्य करना।	55890	पौधे	1.25	सैकड़ा	699	343724
10	अन्य व्यय (कीटनाशक खाद क्रय, वर्मी कम्पोस्ट कय आदि)				LS.	50	24600
					योग:-	5127	2522541

उपवनमण्डल अधिकारी
लांजी (सा.) उपवनमण्डल

उपवनमण्डल अधिकारी
पश्चिम लांजी (सा.) सा

योजना का तृतीय वर्ष 2027-28

मजदूरी दर-532/-

क्र.	कार्य का विवरण	मजदूरी दर-532/-				
		कार्य की मात्रा	इकाई	दर प्रति इकाई (मा. दि.)	कुल मानव दिवस	राशि
1	पौधा कय (10 प्रतिशत पौधों के पुनरोपण हेतु)	मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई	
2	पौधों का परिवहन (संख्या)	187	पौधे	0.03546	पौधा	7
3	ट्रक/ट्रैक्टर द्वारा सिर बोझ द्वारा 1 कि०मी०	187	पौधे	1.5	सैकड़ा	3
4	पौधों में प्रथम निंदाई	187	पौधे	0.4	सैकड़ा	1
5	पौधों में द्वितीय निंदाई	1863	पौधे	1.25	सैकड़ा	23
6	खाद एवं कीटनाशक दवा डलवाई	1863	पौधे	1	सैकड़ा	19
7	सुरक्षा 1 श्रमिक 12 माह	1863	पौधे	0.6	सैकड़ा	11
9	सिंचाई कार्य:- रोपण पर्याप्त पौधों में ग्रीष्मकालीन सिंचाई 15 फरवरी से 31 मई तक आवश्यकतानुसार प्रति सप्ताह 01 सिंचाई कुल सिंचाई 15 प्रति पौधा कुल सिंचाई 1863X15 = 27945 की सिंचाई 1 कि.मी. तक सिरबोझ द्वारा पानी लाकर सिंचाई कार्य करना। अन्य व्यय (ट्री गार्ड मरम्मत कार्य, कीटनाशक खाद क्रय आदि)	27945	पौधे	1.25	सैकड़ा	349
				Ls.	100	53200
				योग:-	825	438683

उपवनमण्डल अधिकारी
लांजी (सा.) उपवनमण्डल

उपवनमण्डल अधिकारी
लांजी (सा.) उपवनमण्डल

योजना का चतुर्थ वर्ष 2028-29						मजदूरी दर-574/-	
क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	राशि
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई		
1	रोपण हेतु पौधा कय व्यय (10 प्रतिशत पौधों के पुनरोपण हेतु)	187	पौधा	0.03546	पौधा	7	3806
2	पौधों का परिवहन (संख्या)					3	1610
	ट्रक/ट्रेक्टर द्वारा	187	पौधा	1.50	सैकड़ा	1	429
	सिर बोझ द्वारा 1 कि०मी०	187	पौधा	0.40	सैकड़ा	23	13367
3	पौधों में प्रथम निंदाई	1863	पौधा	1.25	सैकड़ा	19	10694
4	पौधों में द्वितीय निंदाई	1863	पौधा	1	सैकड़ा	312	179088
5	सुरक्षा 1 श्रमिक 12 माह	1	12 माह				
6	अन्य व्यय (कीटनाशक खाद क्रय एवं ड्री गार्ड मरम्मत कार्य इत्यादि)				LS	80	45920
					योग:-	444	254914

उपवनमण्डल अधिकारी
लांजी (सा.) उपवनमण्डल

Paha
वनपरिक्षेत्र अधिकारी
पश्चिमलांजी (सी) सा

योजना का पंचम वर्ष 2029-30						मजदूरी दर-620/-	
क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	राशि
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई		
1	सुरक्षा 1 श्रमिक 12 माह	1	12 माह			312	193440
2	अन्य व्यय (कीटनाशक खाद क्रय एवं ड्री गार्ड मरम्मत कार्य आदि)			LS		30	18600
	योग:-					342	212040

असिंचित

मजदूरी दर- 670/-

योजना का षष्ठम वर्ष 2030-31						मजदूरी दर- 670/-	
क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	राशि
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई		
1	सुरक्षा 1 श्रमिक 12 माह	1	12 माह			312	209040
2	अन्य व्यय (ड्री गार्ड मरम्मत आदि)			LS		30	20100
	योग:-					342	229140

असिंचित

मजदूरी दर-724/-

योजना का सप्तम वर्ष 2031-32						मजदूरी दर-724/-	
क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	राशि
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई		
1	सुरक्षा 1 श्रमिक 06 माह	1	06 माह			156	112944
2	अन्य व्यय (ड्री गार्ड मरम्मत आदि)			LS		30	21720
	योग:-					186	134664

उपवनमण्डल अधिकारी
लांजी (सा.) उपवनमण्डल

वनविकास अधिकारी
पश्चिममाला (सा.) सा

योजना का अष्टम वर्ष 2032-33

असिंचित

मजदूरी दर-781/-

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	राशि
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई		
1	सुरक्षा 1 श्रमिक 04 माह	1	06 माह			156	121836
1	अन्य व्यय (ट्री गार्ड मरम्मत इत्यादि)				LS	30	23430
					योग:-	186	145266

योजना का नवम वर्ष 2033-34

असिंचित

मजदूरी दर-844/-

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	रिमार्क
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई		
1	सुरक्षा 1 श्रमिक 06 माह	1	06 माह			156	131664
1	अन्य व्यय (ट्री गार्ड मरम्मत इत्यादि)				LS	30	25320
					योग:-	186	156984

योजना का दशम वर्ष 2034-35

असिंचित

मजदूरी दर-912/-

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	रिमार्क
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई		
1	सुरक्षा 1 श्रमिक 06 माह	1	06 माह			156	142272
1	अन्य व्यय (ट्री गार्ड मरम्मत इत्यादि)				LS	30	27360
					योग:-	186	169632

योजना का ग्यारवा वर्ष 2035-36

असिंचित

मजदूरी दर-984/-

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	रिमार्क
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई		
1	अन्य व्यय (ट्री गार्ड मरम्मत इत्यादि)				LS	50	49200
					योग:-	50	49200

उपवनमण्डल अधिकारी
लांजी (सा.) उपवनमण्डल

वन परिक्षेत्र अधिकारी
पश्चिम कान्तिगंगा

ले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (RCPLWEA) के अन्तर्गत वन परिक्षेत्र पश्चिम लांजी (सा.) में प्रस्तावित मार्ग टी-20 के कि. मी. कटौतीपारकता मार्ग निर्माण लंबाई 7.450 कि.मी. प्रभावित रकबा 8.705 हेक्टेयर हेतु वनभूमि व्यापवर्तन का प्रस्ताव क्रमांक- 155398/2022) में भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल के पत्र क्रमांक/6- 23/20233-BHO/1/80827 दिनांक 29.08.2024 के द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृत में अधिरोपित शर्त (A) 8 (A road side plantation scheme shall be submitted. The requisite amount shall be deposited in CAMPA fund by the user agency.) के पालन में मार्ग किनारे रोपण योजना के पालन में पश्चिम लांजी (सा.) वन परिक्षेत्र अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग (PWD) एवं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) की वारी- रिसेवाड़ा से सिंगोला रोड़ के दोनो ओर 07.450 कि.मी. में रोड़ साईड प्लांटेशन स्कीम।

गोशवारा, आदर्श रोपण

वर्ष	कुल मानव दिवस	दर	राशि
प्रथम (2025-26)	615	456	280613
द्वितीय (2026-27)	5127	492	2522541
तृतीय (2027-28)	825	532	438683
चतुर्थ (2028-29)	444	574	254914
पंचम (2029-30)	342	620	212040
षष्ठम (2030-31)	342	670	229140
सप्तम (2031-32)	186	724	134664
अष्टम (2032-33)	186	781	145266
नवम (2033-34)	186	844	156984
दशम (2034-35)	186	912	169632
ग्यारवां (2035-36)	50	984	49200
कुल योग -	8489		4593677

ADD (+)	1. आस्थामूलक कार्य की राशि 5% प्रतिशत	0
	2. मानव संसाधन विकास की राशि 1% प्रतिशत	0
	3. अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कार्य की राशि 4% प्रतिशत	0
	कुल योग -	4593677
	4. पर्यवेक्षण शुल्क की राशि 10% प्रतिशत	0
	महायोग -	4593677

वनमण्डलाधिकारी
दक्षिण (सा.) बालाघाट वनमण्डल

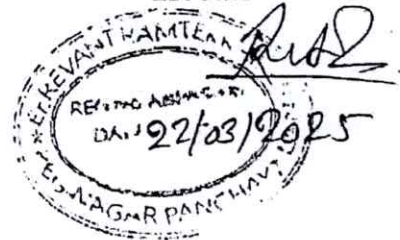
उप वनमण्डलाधिकारी
लांजी (सा.) उपवनमण्डल

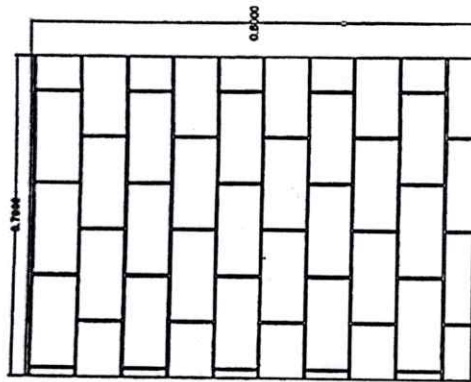
वनपरिक्षेत्र अधिकारी
पश्चिम लांजी (सा.)

T.S.
Chief Conservator of Forest
Balaghat Circle (M.P.)

DETAIL ESTIMATE FOR CONSTRUCTION OF TREE GARD
PWD. S.O.R. 2023

S.N	S.O.R	ITEM	ITEM OF WORK	MEAGARMENT	QTY.	UNIT	RATE	AMMUNT
1	2.6.1		Earth work in excavation by mechanical means (Hydraulic excavator)/manual means over areas (exceeding 30 cm in depth 1.5 m in width as well as 10 sqm on plan) including disposal of eccavated earth lead upto 50 m and lift upto 1.5m disposed earth to be levelled and neatly dressed.	4.00nosX1.50X0.30X	0.54			
			Total Qty.		0.54	cu.m.	129.00	69.66
5	6.3.1		Brick work with well burnt open bhatta bricks crushing strength not less then 25kg/sqm. And watter absorption not more then 20% in foundation and plinth	4.0nosX0.80X0.70	2.88			
			Total Qty.		2.24	SQM	673.00	1507.52
			Total Amt.					1577.18





TREE GARD



कार्यवाही प्रोसीडिंग फार्म

वर्ष 2025

समिति का नाम :- वन सुरक्षा समिति परिक्षेत्र का नाम :- पूर्व लांजी (सा.) वनमण्डल :- दक्षिण बालाघाट वनमण्डल बालाघाट जिला :- बालाघाट माहजनवरी वर्ष 2025

तारीख	उपस्थित सदस्यों का नाम	विषय	बैठक में किया गया कार्य	पास हुए प्रस्ताव	अध्यक्ष एवं सदस्य के हस्ताक्षर
31/01/2025			संक्षेप में की गई कार्यवाही	5	6
1	श्री कृष्ण कुमार परकर (नियोजक)	3	आज फ्लॉक डांग 25 को वन सुरक्षा समिति जिम्मेदारों की बैठक की आयोजन किया जा रहा है उपस्थित सभी सदस्यों/सदस्य गण बैठक में उपस्थित होने पर ध्यान देना कि जो जिम्मेदारों के अंतर्गत राख रखे समिति पन सुरक्षा से बालाघाट जिले में नरसल प्रभावित क्षेत्र प्रभावितों से विवेक रखा गया ग्राम सड़क योजना (RTP) के अंतर्गत पन परिक्षेत्र की बालाघाट जिले के पश्चिम लांजी (सा.) में प्रस्तावित सड़क सीतापाला, टाटिकल नरसली प्रभावित क्षेत्र 150 Km. में जिम्मेदारों के से कटीपारकुला सड़क के लांजी में प्रभावितों का एक गै. रोड जिनमें वृक्षारोपण हेतु लांजी में सिंचाई से बड़ेला वृक्षारोपण किया जाना है। यह विवेक रखा गया कि बैठक में सभी सदस्य गणों से विवेक विवेक पर विचार किया गया, अतः इस विवेक पर यह निर्णय लिया कि सिंचाई तह वृक्षारोपण से के सिंचाई में रुका की मधुगति प्रभावित किया जाता है।	प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित किया गया।	कविता मडाजी
2	श्री प्रमिता कविता/योगेश मदन (आयोजक)				युनिराम
3	श्री युनिराम/अमरपाल (सदस्य)				रम कृमि
4	श्री राजकुमार/रिंदलाल (—१—)				जयसिंग
5	श्री जयसिंग/महेशलाल (—१—)				नरसिंह
6	श्री नरसिंह/सुंदरलाल (—१—)				नेहलाव
7	श्री गंगाधर/अरुण (—१—)				के. व. लाल
8	श्री प्रमिता/गोविंदा/बोसलाल (—१—)				

परिक्षेत्र अधिकारी
वन परिक्षेत्र लांजी सा.
पश्चिम लांजी सा.

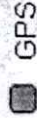
परिक्षेत्र अधिकारी
परिक्षेत्र लांजी सा.
पश्चिम लांजी सा.

परिक्षेत्र अधिकारी
परिक्षेत्र लांजी सा.
पश्चिम लांजी सा.

Untitled Map

Write a description for your map.

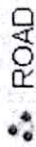
Legend



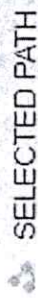
GPS



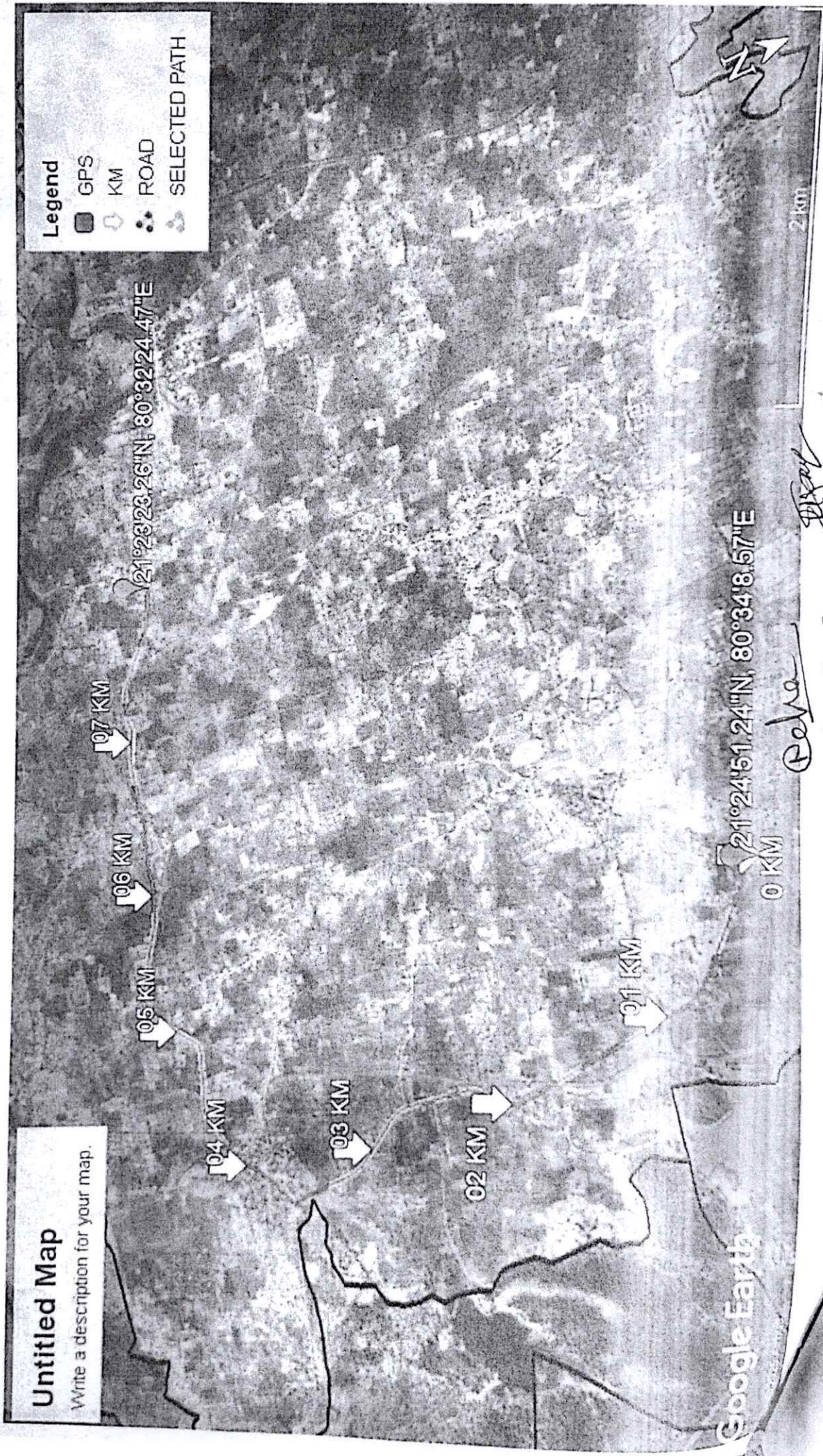
KM



ROAD



SELECTED PATH



वन परिक्षेत्र अधिकारी
पश्चिम लांजी रा

परिक्षेत्र सहायक
बहेला



रोड साईड प्लांटेशन स्कीम (एकबा 7.450 कि.मी.) - वन परिक्षेत्र पश्चिम सा. परिक्षेत्र

Yearwise physical and financial target/ outlay Breakup																								
Rate in Rs.	2025-26		2026-27		2027-28		2028-29		2029-30		2030-31		2031-32		2032-33		2033-34		2034-35		2035-36		Total	
	Fhy.	Fin.	Fhy.	Fin.	Fhy.	Fin.	Fhy.	Fin.	Fhy.	Fin.	Fhy.	Fin.	Fhy.	Fin.	Fhy.	Fin.	Fhy.	Fin.	Fhy.	Fin.	Fhy.	Fin.		
456	0.39	280613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280613	
492	0	0	0.39	2522541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2522541	
532	0	0	0	0	0.39	438683	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	438683	
574	0	0	0	0	0	0	0.39	254914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	254914	
620	0	0	0	0	0	0	0	0	0.39	212040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	212040	
670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.39	229140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	229140	
724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.39	134664	0	0	0	0	0	0	0	0	134664	
781	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.39	145266	0	0	0	0	0	0	145266	
844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.39	156984	0	0	0	0	156984	
912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.39	169632	0	0	169632	
984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.39	49200	49200		
	0.39	280612.6	0.39	2522541	0.39	438683	0.39	254914	0.39	212040	0.39	229140	0.39	134664	0.39	145266	0.39	156984	0.39	169632	0.39	49200	4593677.1	
Total													ADD (+)							1. आस्थामूलक कार्य की राशि 5% प्रतिशत			0	
																				2. मानव संसाधन विकास की राशि 1% प्रतिशत			0	
																				3. अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कार्य की राशि 4%			0	
																				कुल योग :-			4593677	
																				4. पर्यवेक्षण शुल्क की राशि 10% प्रतिशत			0	
																				महायोग :-			4593677	

ADD (+) 1. आस्थामूलक कार्य की राशि 5% प्रतिशत

2. मानव संसाधन विकास की राशि 1% प्रतिशत

3. अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कार्य की राशि 4%

4. पर्यवेक्षण शुल्क की राशि 10% प्रतिशत

कुल योग :-

महायोग :-

4593677

0

4593677

0

4593677

0

4593677

0

4593677

0

4593677

0

4593677

0

4593677

0

4593677

0

4593677

0

4593677

0

4593677

0

उप वनमण्डलाधिकारी
लांजी (सा.) उपवनमण्डल

वनमण्डलाधिकारी
दक्षिण (सा.) बालाघाट वनमण्डल

वनमण्डलाधिकारी
पश्चिम (सा.) जालीख

रोड साईड प्लांटेशन स्कीम (एकबा 7.450 कि.मी.) - वन परिक्षेत्र पश्चिम सा. परिक्षेत्र

Name of work	Yearwise physical and financial target/ outlay Breakup																								Total
	2025-26		2026-27		2027-28		2028-29		2029-30		2030-31		2031-32		2032-33		2033-34		2034-35		2035-36				
	Rate in Rs.	Fhy.	Fin.	Fhy.	Fin.	Fhy.	Fin.	Fhy.	Fin.	Fhy.	Fin.	Fhy.	Fin.	Fhy.	Fin.	Fhy.	Fin.	Fhy.	Fin.	Fhy.	Fin.				
Advance work	456	0.39	280613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280613		
Creation-II Year	492	0	0	0.39	2522541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2522541		
Maintenance-III Year	532	0	0	0	0	0.39	438683	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	438683		
IV Year	574	0	0	0	0	0	0	0.39	254914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	254914		
V Year	620	0	0	0	0	0	0	0	0	0.39	212040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	212040		
VI Year	670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.39	229140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	229140		
VII Year	724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.39	134664	0	0	0	0	0	0	0	134664		
VIII Year	781	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.39	145266	0	0	0	0	0	0	145266		
IX Year	844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.39	156984	0	0	0	0	0	156984		
X Year	912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.39	169632	0	0	0	169632		
XI Year	984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.39	49200	49200			
Total		0.39	280612.6	0.39	2522541	0.39	438683	0.39	254914	0.39	212040	0.39	229140	0.39	134664	0.39	145266	0.39	156984	0.39	169632	0.39	49200	4593677.1	
ADD (+) 1. आस्थामूलक कार्य की राशि 5% प्रतिशत																								0	
2. मानव संसाधन विकास की राशि 1% प्रतिशत																								0	
3. अनुसूचण एवं मूल्यांकन कार्य की राशि 4%																								0	
कुल योग :- 4593677																									
4. पर्यवेक्षण शुल्क की राशि 10% प्रतिशत																								0	
महायोग :- 4593677																									

र

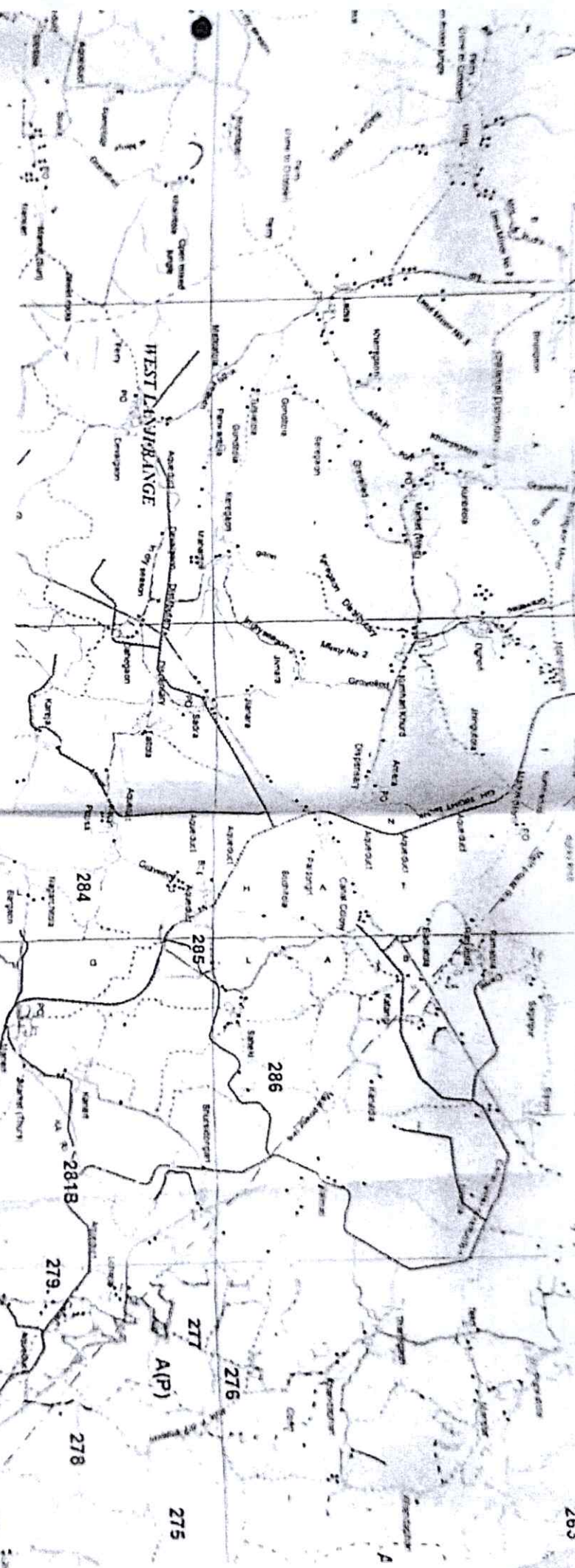
वनमण्डलताधिकारी
दक्षिण (सा.) बालाघाट वनमण्डल

उप वनमण्डलताधिकारी
तांजी (सा.) उपवनमण्डल

र

वनपरिक्षेत्रप्रमुख
पश्चिम (सा.) वनपरिक्षेत्र

213-2145 "बुद्धारा" - 981. 7.450 km
 263



दृष्टि रंगीत वर्णन

Part no	Part no	Length on LHS	Length on RHS	Total length in meters
1	0.1	270	364	634
2	1.2	342	344	686
3	2.3	717	761	1480
4	3.4	771	765	1536
5	4.5	841	815	1656
6	5.6	877	877	1754
7	6.7	912	912	1824
8	7.8	947	947	1894
9	8.9	982	982	1964
10	9.0	1017	1017	2034
11	10.1	1052	1052	2104
12	11.2	1087	1087	2174
13	12.3	1122	1122	2244
14	13.4	1157	1157	2314
15	14.5	1192	1192	2384
16	15.6	1227	1227	2454
17	16.7	1262	1262	2524
18	17.8	1297	1297	2594
19	18.9	1332	1332	2664
20	19.0	1367	1367	2734
21	20.1	1402	1402	2804
22	21.2	1437	1437	2874
23	22.3	1472	1472	2944
24	23.4	1507	1507	3014
25	24.5	1542	1542	3084
26	25.6	1577	1577	3154
27	26.7	1612	1612	3224
28	27.8	1647	1647	3294
29	28.9	1682	1682	3364
30	29.0	1717	1717	3434
31	30.1	1752	1752	3504
32	31.2	1787	1787	3574
33	32.3	1822	1822	3644
34	33.4	1857	1857	3714
35	34.5	1892	1892	3784
36	35.6	1927	1927	3854
37	36.7	1962	1962	3924
38	37.8	1997	1997	3994
39	38.9	2032	2032	4064
40	39.0	2067	2067	4134
41	40.1	2102	2102	4204
42	41.2	2137	2137	4274
43	42.3	2172	2172	4344
44	43.4	2207	2207	4414
45	44.5	2242	2242	4484
46	45.6	2277	2277	4554
47	46.7	2312	2312	4624
48	47.8	2347	2347	4694
49	48.9	2382	2382	4764
50	49.0	2417	2417	4834
51	50.1	2452	2452	4904
52	51.2	2487	2487	4974
53	52.3	2522	2522	5044
54	53.4	2557	2557	5114
55	54.5	2592	2592	5184
56	55.6	2627	2627	5254
57	56.7	2662	2662	5324
58	57.8	2697	2697	5394
59	58.9	2732	2732	5464
60	59.0	2767	2767	5534
61	60.1	2802	2802	5604
62	61.2	2837	2837	5674
63	62.3	2872	2872	5744
64	63.4	2907	2907	5814
65	64.5	2942	2942	5884
66	65.6	2977	2977	5954
67	66.7	3012	3012	6024
68	67.8	3047	3047	6094
69	68.9	3082	3082	6164
70	69.0	3117	3117	6234
71	70.1	3152	3152	6304
72	71.2	3187	3187	6374
73	72.3	3222	3222	6444
74	73.4	3257	3257	6514
75	74.5	3292	3292	6584
76	75.6	3327	3327	6654
77	76.7	3362	3362	6724
78	77.8	3397	3397	6794
79	78.9	3432	3432	6864
80	79.0	3467	3467	6934
81	80.1	3502	3502	7004
82	81.2	3537	3537	7074
83	82.3	3572	3572	7144
84	83.4	3607	3607	7214
85	84.5	3642	3642	7284
86	85.6	3677	3677	7354
87	86.7	3712	3712	7424
88	87.8	3747	3747	7494
89	88.9	3782	3782	7564
90	89.0	3817	3817	7634
91	90.1	3852	3852	7704
92	91.2	3887	3887	7774
93	92.3	3922	3922	7844
94	93.4	3957	3957	7914
95	94.5	3992	3992	7984
96	95.6	4027	4027	8054
97	96.7	4062	4062	8124
98	97.8	4097	4097	8194
99	98.9	4132	4132	8264
100	99.0	4167	4167	8334
101	100.1	4202	4202	8404
102	101.2	4237	4237	8474
103	102.3	4272	4272	8544
104	103.4	4307	4307	8614
105	104.5	4342	4342	8684
106	105.6	4377	4377	8754
107	106.7	4412	4412	8824
108	107.8	4447	4447	8894
109	108.9	4482	4482	8964
110	109.0	4517	4517	9034
111	110.1	4552	4552	9104
112	111.2	4587	4587	9174
113	112.3	4622	4622	9244
114	113.4	4657	4657	9314
115	114.5	4692	4692	9384
116	115.6	4727	4727	9454
117	116.7	4762	4762	9524
118	117.8	4797	4797	9594
119	118.9	4832	4832	9664
120	119.0	4867	4867	9734
121	120.1	4902	4902	9804
122	121.2	4937	4937	9874
123	122.3	4972	4972	9944
124	123.4	5007	5007	10014
125	124.5	5042	5042	10084
126	125.6	5077	5077	10154
127	126.7	5112	5112	10224
128	127.8	5147	5147	10294
129	128.9	5182	5182	10364
130	129.0	5217	5217	10434
131	130.1	5252	5252	10504
132	131.2	5287	5287	10574
133	132.3	5322	5322	10644
134	133.4	5357	5357	10714
135	134.5	5392	5392	10784
136	135.6	5427	5427	10854
137	136.7	5462	5462	10924
138	137.8	5497	5497	10994
139	138.9	5532	5532	11064
140	139.0	5567	5567	11134
141	140.1	5602	5602	11204
142	141.2	5637	5637	11274
143	142.3	5672	5672	11344
144	143.4	5707	5707	11414
145	144.5	5742	5742	11484
146	145.6	5777	5777	11554
147	146.7	5812	5812	11624
148	147.8	5847	5847	11694
149	148.9	5882	5882	11764
150	149.0	5917	5917	11834
151	150.1	5952	5952	11904
152	151.2	5987	5987	11974
153	152.3	6022	6022	12044
154	153.4	6057	6057	12114
155	154.5	6092	6092	12184
156	155.6	6127	6127	12254
157	156.7	6162	6162	12324
158	157.8	6197	6197	12394
159	158.9	6232	6232	12464
160	159.0	6267	6267	12534
161	160.1	6302	6302	12604
162	161.2	6337	6337	12674
163	162.3	6372	6372	12744
164	163.4	6407	6407	12814
165	164.5	6442	6442	12884
166	165.6	6477	6477	12954
167	166.7	6512	6512	13024
168	167.8	6547	6547	13094
169	168.9	6582	6582	13164
170	169.0	6617	6617	13234
171	170.1	6652	6652	13304
172	171.2	6687	6687	13374
173	172.3	6722	6722	13444
174	173.4	6757	6757	13514
175	174.5	6792	6792	13584
176	175.6	6827	6827	13654
177	176.7	6862	6862	13724
178	177.8	6897	6897	13794
179	178.9	6932	6932	13864
180	179.0	6967	6967	13934
181	180.1	7002	7002	14004
182	181.2	7037	7037	14074
183	182.3	7072	7072	14144
184	183.4	7107	7107	14214
185	184.5	7142	7142	14284
186	185.6	7177	7177	14354
187	186.7	7212	7212	14424
188	187.8	7247	7247	14494
189	188.9	7282	7282	14564
190	189.0	7317	7317	14634
191	190.1	7352	7352	14704
192	191.2	7387	7387	14774
193	192.3	7422	7422	14844
194	193.4	7457	7457	14914
195	194.5	7492	7492	14984
196	195.6	7527	7527	15054
197	196.7	7562	7562	15124
198	197.8	7597	7597	15194
199	198.9	7632	7632	15264
200	199.0	7667	7667	15334
201	200.1	7702	7702	15404
202	201.2	7737	7737	15474
203	202.3	7772	7772	15544
204	203.4	7807	7807	15614
205	204.5	7842	7842	15684
206	205.6	7877	7877	15754
207	206.7	7912	7912	15824
208	207.8	7947	7947	15894
209	208.9	7982	7982	15964
210	209.0	8017	8017	16034
211	210.1	8052	8052	16104
212	211.2	8087	8087	16174
213	212.3	8122	8122	16244
214	213.4	8157	8157	16314
215	214.5	8192	8192	16384
216	215.6	8227	8227	16454
217	216.7	8262	8262	16524
218	217.8	8297	8297	16594
219	218.9	8332	8332	16664
220	219.0	8367	8367	16734
221	220.1	8402	8402	16804
222	221.2	8437	8437	16874
223	222.3	8472	8472	16944
224	223.4	8507	8507	17014
225	224.5	8542	8542	17084
226	225.6	8577	8577	17154
227	226.7	8612	8612	17224
228	227.8	8647	8647	17294
229	228.9	8682	8682	17364
230	229.0	8717	8717	17434
231	230.1	8752	8752	17504
232	231.2	8787	8787	17574
233	232.3	8822	8822	17644
234	233.4	8857	8857	17714
235	234.5	8892	8892	17784
236	235.6	8927	8927	17854
237	236.7	8962	8962	17924
238	237.8	8997	8997	18000
239	238.9	9032	9032	18074
240	239.0	9067	9067	18150
241	240.1	9102	9102	18224
242	241.2	9137	9137	18300
243	242.3	9172	9172	18374
244	243.4	9207	9207	18450
245	244.5	9242	9242	18524
246	245.6	9277	9277	18600
247	246.7	9312	9312	18674
248	247.8	9347	9347	18750
249	248.9	9382	9382	18824
250	249.0	9417	9417	18900
251	250.1	9452	9452	18974
252	251.2	9487	9487	19050
253	252.3	9522	9522	19124
254</				